मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

वर्ष : 24 अंक : 09

मई 2025

विकास vs विनाश

प्रकृति से खिलवाड़: मानव जाति पर पड़ेगा भारी

- विकास के नाम पर चढ़ाई जा रही पेड़ों की बलि

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय
भोपाल
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़
4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक
विजया पाठक द्वारा जगत प्रिंटर्स पब्लिशर्स, खसरा नं. 1/1/6 अमरावद खुर्द बरखेड़ा पठानी, फंदा भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.co.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 25 अंक 09 मई 2025

(पृष्ठ क्र.-6)

- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर मुख्यधारा में लौट रहे नक्सलवादी 38
- पाकिस्तान से पानी का रिश्ता हुआ समाप्त 46
- आ गया आतंक के आकाओं की कमर तोड़ने का वक्त 50
- A multifaceted approach needed to end witch-hunting in harkhand and other states...60

"विक्ट्री सिंबल ऐसे ही बन सकता है!
विजय

संपादकीय

पहलगाम हमले के पीछे पाक समर्थक आतंकियों की मंशा के मायने

22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने पहलगाम में पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर निर्दोष 26 हिंदुओं की निर्मम हत्या की। यह हमला, जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे के निरस्तीकरण के पश्चात् इस क्षेत्र में सबसे घातक हमलों में से एक था, जिसमें हिन्दू नागरिकों को निशाना बना उनका नरसंहार किया गया और कथित तौर पर इसका उद्देश्य कश्मीर घाटी में जनसांख्कीय परिवर्तनों का विरोध करना था। ऐसे दुस्साहसपूर्ण हमले यह स्पष्ट करते हैं कि आतंकी केवल बंदूक से नहीं लड़ रहे, वे हमारी शांति से, सौहार्द्ध से और हमारी सहनशीलता से भी लड़ रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफकड़े कदम उठाए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है, साथ ही सैन्य तैयारियां भी तेज कर दी हैं।

भारत के समक्ष खड़ी यह चुनौती केवल आतंकवाद से नहीं, एक संगठित वैचारिक गठजोड़ से है, जिसमें एक ओर हिंदुत्व को मिटाने का षड्यंत्र है, तो दूसरी ओर राजनीतिक इच्छाशक्तिकी परीक्षा। आज हमारे पास यह न मानने का कोई कारण नहीं कि जिहाद केवल आतंक नहीं, बल्कि पूरी मानवता के विरूद्ध एक सभ्यतागत संघर्ष है। पहलगाम का हमला न तो आकस्मिक है, न ही अलग-थलग। यह इस्लामी जिहाद के उस सुनियोजित एजेंडे का हिस्सा है जो हिंदुत्व और भारत की सांस्कृतिक आत्मा को मिटाने के उद्देश्य से वैश्विक समर्थन और स्थानीय सहानुभूति के सहारे कार्य कर रहा है। इस्लाम के कुछ मध्ययुगीन ग्रंथों और व्याख्याओं में काफिर के प्रति जो दृष्टिकोण मिलता है, वह मित्रता नहीं, घृणा, बहिष्कार और अंततः हत्या तक की स्वीकृति प्रदान करता है। यह केवल मजहबी आग्रह नहीं, राजनीतिक इस्लाम का वह संस्करण है जिसने मजहब को एक सैन्य अभियान में बदल दिया है।

ऐसे अभियानों का समय बेहद सोच समझकर चुना जाता है। फिर उसके अनुसार ही उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। फिर गढ़ा जाता है अलगाववाद का, मुसलमानों पर अत्याचार किए जाने का झूठा विमर्श। अलग-अलग समय पर, अलग-अलग तरीके से इन अभियानों को चलाया जाता है। इसके बाद देश और विदेश में इन कट्टरपंथियों का हमदर्द बनकर बैठी वामपंथी बिग्रेड सक्रिय हो जाती है। वह अपनी पूरी ताकत झोंक देती है एक झूठा विमर्श खड़ा करने में। उदाहरण के तौर पर, साल 2000 में जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन 21 से 25 मार्च तक भारत दौरे पर थे, तब अनंतनाग जिले के चिट्टीसिंहपोरा गांव में 36 सिख ग्रामीणों का नरसंहार किया गया था। दरअसल, भारत ने पिछले दशक में आधारभूत ढांचे, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। परंतु, यह विकास पथ बार-बार आतंकवाद, कट्टरवाद और तुष्टीकरण की नीतियों से बाधित होता रहा है। इन सबके मूल में है, एक ऐसा गठजोड़, जिसमें स्थानीय वोट बैंक की राजनीति, न्यायिक नरमी और बौद्धिक पाखंड शामिल हैं। पहलगाम की घटना बताती है कि अब युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, यह विचारों और संस्कृति की आंतरिक रक्षा की लड़ाई बन चुका है।

विजया पाठक

विकास VS विनाश

प्रकृति से खिलवाड़ः मानव जाति पर पड़ेगा भारी

- विकास के नाम पर चढ़ाई जा रही पेड़ों की बलि

किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे- यह पंक्ति सुनने में भले ही काव्यात्मक लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा दर्द, पीड़ा और चेतावनी आज के तथाकथित विकास के मॉडल पर करारी चोट करती है। यह विकास नहीं बल्कि विनाश है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके विकास करना समझदारी नहीं है। जब हम हैदराबाद के जंगलों की कटाई और अंधाधुंध शहरी विस्तार की तरफ देखते हैं, तो यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है। क्या हम सचमुच बसा रहे हैं या उजाड़ने की प्रक्रिया को ही विकास कहकर महिमा मंडित कर रहे हैं? हैदराबाद के 400 एकड़ जंगल को काट कर उद्योग लगाने का फैसला सरकार का सरासर गलत है। इसमें कितने बेजुबानों की जान चली गई। इसकी गुनहगार हैदराबाद और केंद्र सरकार खुद है। जब आम आदमी पेड़ काटता है तो उसे पेनल्टी लगती है सरकार को भी पेनाल्टी लगनी चाहिए। सरासर प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है। हैदराबाद में 400 एकड़ में फैले कांचा गाजीबोवली जंगल को काटकर तेलंगाना सरकार आईटी पार्क बनाना चाहती है, जबकि यह क्षेत्र डीम्ड फारेस्ट श्रेणी में आता है। डीम्ड फारेस्ट को कानूनी संरक्षण हासिल होता है और उसे काटा नहीं जा सकता है, लेकिन यहां 400 एकड़ वन को विकास के नाम पर नष्ट किया जा रहा है, जिसमें 237 पक्षी प्रजातियां, दुर्लभ स्टार कछुए और महत्वपूर्ण जलस्रोत हैं। बेजुबान जानवरों के आशियाने को नष्ट करके ये खुद के लिए गड्ढा खोदना जैसा है, क्योंकि जब इन जानवरों के घर ही नहीं रहेंगे, तब ये जानवर आबादी वाले क्षेत्र में जाएंगे। इस मामले में वहां छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। वन भूमि को रौंदते बुलडोजर तेलंगाना सरकार का एक निर्णय हैदराबाद के फेफड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा है। हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटी कांचा गाचीबोवली की 400 एकड़ घनी, तरह-तरह के जीवों से भरी वनभूमि को आईटी पार्क के लिए नीलाम करना किसी बड़े अनिष्ट का काम है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद वनों की कटाई पर रोक लग गई है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी जिंदा है कि आखिर कब तक विकास के नाम पर जंगलों को, पेड़ों को काटा जायेगा। हम जानते हैं कि विश्व में कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 31 प्रतिशत है। यह क्षेत्र प्रति व्यक्ति लगभग 0.52 हेक्टेयर के बराबर है, लेकिन वन विश्व भर में समान रूप से वितरित नहीं हैं। विश्व के आधे से अधिक वन केवल पांच देशों में पाए जाते हैं, और दो तिहाई वन दस देशों में पाए जाते हैं। वर्तमान आंकलन के अनुसार, कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग कि. मी. है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 प्रतिशत है। वनावरण का क्षेत्रफल लगभग 7,15,343 वर्ग कि.मी. है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में 33 प्रतिशत क्षेत्रों में वन होना आवश्यक है। बावजूद इसके अनदेखी होती जा रही है।

विजया पाठक

वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, भारत का कुल वन क्षेत्र 713,789 वर्ग किमी है जो कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71 प्रतिशत है। वहीं वृक्षों का आच्छादन 95,748 वर्ग किमी होने का अनुमान है जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91 प्रतिशत है। नवीनतम रिपोर्ट में इन दोनों को जोड़कर यह कहा गया

पर्यावरण संरक्षण के लिए देश भर में तमाम तरीकों से आवाजें उठाई जाती है। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है। दूसरी तरफ विकास के नाम पर देश के कई हिस्सों से वनों को काटा जाता है। हरे-भरे जंगलों को उजाड़ा जाता है। यह किस तरह का विकास है। प्रकृति का विनाश करके विकास करना कौन सी समझदारी है। तेलंगाना के 400 एकड़ के जंगल में भी यही हो रहा है, जिसका चौरतफा विरोध हो रहा है।

है कि देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 809,537 वर्ग किमी है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 प्रतिशत हो गया। इस तरह देश के वन क्षेत्र में 2019 की तुलना में 2,261 वर्ग किलोमीटर (0.28 प्रतिशत) की वृद्धि दिखाई गई है। इस नए रिपोर्ट में से वनावरण में 1,540 वर्ग किमी और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 721 वर्ग किमी की वृद्धि पाई गई है। वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष पांच राज्य आंध्र प्रदेश (647 वर्ग किमी), तेलंगाना (632 वर्ग किमी), ओडिशा (537 वर्ग किमी), कर्नाटक (155 वर्ग किमी) और झारखंड (110 वर्ग किमी) हैं। वन क्षेत्र में कमी दर्ज करने वाले शीर्ष पांच राज्य पूर्वोत्तर के हैं, जिनमें अरूणाचल प्रदेश (257 वर्ग किमी), मणिपुर (249 वर्ग किमी), नागालैंड (235 वर्ग किमी), मिजोरम (186 वर्ग किमी) और मेघालय (73 वर्ग किमी) शामिल हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि देश के 104 पहाड़ी जिलों में 902 वर्ग किमी जंगल कम हुआ है। वन क्षेत्र पर तैयार की जाने वाली किसी भी रिपोर्ट में वनों के विस्तार के साथ-साथ वनों के संकट को भी

> **देश के 104 पहाड़ी जिलों में 902 वर्ग किमी जंगल कम हुआ है। वन क्षेत्र पर तैयार की जाने वाली किसी भी रिपोर्ट में वनों के विस्तार के साथ-साथ वनों के संकट को भी शामिल किया जाना चाहिए।**

क्या है मामला

हैदराबाद में 400 एकड़ में फैले कांचा गाजीबोवली जंगल को काटकर तेलंगाना सरकार आईटी पार्क बनाना चाहती है। इस जंगल को हैदराबाद का फैफड़ा भी कहा जाता है। इस हरे भरे जंगल को काटने का वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 19 जून 2024 को टीजीआईआईसी (TelanGana Industrial Infrastructure Corporation) ने इस जमीन इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा। 24 जून 2024 को जमीन को आईटी पार्क बनाने के लिए देने पर सहमति बनी और जुलाई 2024 में इसका औपचारिक ट्रांसफर कर दिया गया। जब 30 मार्च 2025 को अचानक जंगल को काटने का काम शुरू हुआ तो हैदराबाद यूनिविर्सिटी के छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। इसके बाद पुलिस ने छात्रों को हिरासत में भी लिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन भी छात्रों के साथ आ गई। तेलंगाना सरकार का कहना है कि जिस जमीन को लेकर बवाल हो रहा है उसकी मालिक सरकार है। सरकार विरोधी छात्रों और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। विकास में बाधा डालने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यावरणविदों ने कांचा गाजीबोवली वन (KGF) राष्ट्रीय उद्यान बनाने की मांग की है। यहां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची-। संरक्षित प्रजातियों का घर भी है। यहां 233 पक्षी प्रजातियों का घर है।

शामिल किया जाना चाहिए। देश के वनों को समझने के लिए यह दोनों पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। मौजूदा वन सर्वेक्षण में कई आंकड़ें शामिल किये गए हैं जो न तो वनों की गुणवत्ता और उनके सामाजिक-आर्थिक उपयोग और न ही वृक्षों के आवरण की स्पष्ट समझ देते हैं। ऐसे रिपोर्ट तैयार करते वक्त वनों के सामाजिक पक्ष की अनदेखी की जाती है। ऐसी रिपोर्ट में कभी यह बताने का प्रयास नहीं किया जाता कि पेड़ न होने की वजह से वन भूमि खाली है।

2030 तक भारत का लगभग 45-64

वृक्ष आवरण वृद्धि की तुलना में ज्यादा काटे जा रहे वन

वर्ष 2021 की तुलना में, देश के वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग कि.मी. और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग कि.मी. की वृद्धि शामिल है। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष चार राज्य हैं- छत्तीसगढ़ (684) वर्ग कि.मी.), उत्तर प्रदेश (559 वर्ग कि.मी.), ओडिशा (559 वर्ग कि.मी.) तथा राजस्थान (394 वर्ग कि.मी.) हैं। वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष तीन राज्य हैं- मिजोरम (242 वर्ग कि.मी.), गुजरात (180 वर्ग कि.मी.) और ओडिशा (152 वर्ग कि.मी.) हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष तीन राज्य हैं- मध्यप्रदेश (85,724 वर्ग कि.मी.), अरूणाचल प्रदेश (67,083 वर्ग कि.मी.) और महाराष्ट्र (65,383 वर्ग कि.मी.) है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष तीन राज्य हैं- मध्यप्रदेश (77,073 वर्ग कि.मी.), अरुणाचल प्रदेश (65,882 वर्ग कि.मी.) और छत्तीसगढ़ (55,812 वर्ग कि.मी.) हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से, लक्षद्वीप (91.33 प्रतिशत) में सबसे अधिक वन आवरण है, जिसके बाद मिजोरम (85.34 प्रतिशत) और अंडमान एवं निकोबार द्वीप (81.62 प्रतिशत) का स्थान है। 19 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में 33 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत हैं। इनमें से आठ राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों, जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75 प्रतिशत से अधिक वनावरण है। कुल कच्छ वनस्पति आवरण 4,992 वर्ग कि.मी. है। भारत के वन और वाह्य वन वृक्षों की कुल निधि 6430 मिलियन घन मीटर अनुमानित की गई है, जिसमें से 4479 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर और 1951 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर है। पिछले आंकलन की तुलना में कुल निधि में 262 मिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें 91 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर और 171 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर

प्रतिशत वन क्षेत्र जलवायु हॉटस्पॉट के अंतर्गत आ जाएगा, जबकि 2050 तक देश के पूरे वनावरण के जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट के अंतर्गत आने का अनुमान है। 2085 तक भारत के 20 प्रतिशत वन कवर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के कारण बर्बाद हो रहे होंगे। ऐसे अनुभव जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मध्य भारत और गुजरात के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट में भारत के टाइगर रिजर्व और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन

की वृद्धि शामिल है। देश में बांस धारित क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। वर्ष 2021 में किए गए पिछले आंकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वाह्य वन वृक्षों से औद्योगिक काष्ठ का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन 91.51 मिलियन घन मीटर अनुमानित किया गया है। वर्तमान आंकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। पिछले आंकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO_2 के समतुल्य तक पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में, भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है, जबकि 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अनुसार निर्वनीकरण के कारण वर्ष 1990 से 2020 के बीच 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं, जो कुल वन क्षेत्र का लगभग 10.34 प्रतिशत है। हालाँकि, पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्र के 4.06 बिलियन हेक्टेयर (31 प्रतिशत) पर वनाच्छादन है। हालाँकि, निर्वनीकरण की दर में गिरावट दर्ज होने के बावजूद वर्ष 2015 से 2020 के बीच प्रति वर्ष 10 mha वन नष्ट हुए है। वर्ष 2000 से 2020 के बीच लगभग 47 प्राथमिक वन नष्ट हुए है। उल्लेखनीय है कि 700 mha से अधिक वन (कुल वन क्षेत्र का 18 प्रतिशत) कानूनी रूप से स्थापित संरक्षित क्षेत्रों में है। फिर भी, निर्वनीकरण और वन क्षरण के कारण वन जैव विविधता खतरे में है।

देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर हैं जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफ्ल का 24.62 प्रतिशत है। 2019 के आंकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2,261 वर्ग किमी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें से वनावरण में 1,540 वर्ग किमी और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 721 वर्ग किमी की वृद्धि पाई गई है। वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि खुले जंगल में देखी गई है, उसके बाद यह बहुत घने जंगल में देखी गई है।

कवर का भी आंकलन किया गया है। कहा गया है कि बाघ अभयारण्य लगभग 74,710 वर्ग किमी में फैला है जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.27 प्रतिशत है। आंकलन से पता चलता है कि बाघ अभयारण्यों में वन क्षेत्र 55,666 वर्ग किमी है। यह बाघ अभयारण्यों के कुल क्षेत्रफ्ल का लगभग 74.51 प्रतिशत और भारत के कुल वन क्षेत्र का 7.8 प्रतिशत है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दस सालों में 20 बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र बढ़ा है वहीं 32 बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र का ह्रास हुआ

है। दूसरी तरफ शेर के आवास के मामले में 33.43 वर्ग किमी की कमी आई है।

विडम्बना देखिए, हैदराबाद विश्वविद्यालय परिसर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील घोषित किया है। यहां का शांत वातावरण शोध और शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लगता है, सरकार ने यह सोचने की आवश्यकता ही नहीं समझी कि आईटी पार्क जैसी भारी-भरकम गतिविधियां इस पूरे शांत और जरूरी ताने-बाने को कैसे तहस-नहस कर देंगी। इस वन क्षेत्र में आधी रात को जब सरकारी ठेकेदारों के बुलडोजर गरजे, तो पूरा इलाका जंगली जानवरों की चीखों से दहल उठा। अंधेरे में चमकती मशीनें, उनकी गड़गड़ाहट और जान बचाकर भागते मोर, सियार, और अन्य जीवों का चीत्कार इतना डरावना था कि यह सब देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस हलचल में कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई। गांव-देहात में बड़े-बुजुर्ग हमेशा कहते थे शाम ढलने के बाद पेड़-पौधों को हाथ नहीं लगाते। क्योंकि हमारी सदियों पुरानी समझ और अनुभव ने सिखाया था कि प्रकृति का सम्मान कैसे करें। आयुर्वेद और पारंपरिक खेती का ज्ञान भी यही कहता है कि शाम के समय पेड़-पौधों में जीवन

हैदराबाद विश्वविद्यालय परिसर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील घोषित किया है। यहां का शांत वातावरण शोध और शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लगता है, सरकार ने यह सोचने की आवश्यकता ही नहीं समझी कि आईटी पार्क जैसी भारी-भरकम गतिविधियां इस पूरे शांत और जरूरी ताने-बाने को कैसे तहस-नहस कर देंगी। इस वन क्षेत्र में आधी रात को जब सरकारी ठेकेदारों के बुलडोजर गरजे, तो पूरा इलाका जंगली जानवरों की चीखों से दहल उठा। अंधेरे में चमकती मशीनें, उनकी गड़गड़ाहट और जान बचाकर भागते मोर, सियार, और अन्य जीवों का चीत्कार इतना डरावना था कि यह सब देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।

प्रकृति से खिलवाड़ का परिणाम ही हैं प्राकृतिक आपदाएं

प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से भारत एक संवेदनशील प्रदेश रहा है, यहां बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप तथा भूस्खलन की घटनाएँ आम हैं। भारत के लगभग 60 प्रतिशत भू-भाग में विभिन्न तीव्रता के भूकंपों का खतरा हमेशा बना रहता है। 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बारंबार बाढ़ आती है। कुल 7,516 कि.मी. लंबी तट रेखा में से 5700 कि.मी. में चक्रवात का खतरा बना रहता है। यहां सूखा, सुनामी व वनों में आग लगने की घटनाएं आम हैं। किसी भी आपदा को रोकना आसान काम कभी नहीं होता है, लेकिन इनका प्रबंधन जरूर किया जा सकता है। आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व किसी न किसी प्रकार की आपदाओं से प्रभावित हैं। बढ़ती आबादी के साथ हम कंक्रीट के जंगल खड़े करते जा रहे हैं, प्रकृति के संरक्षण की ओर हमारा ध्यान कम ही है। हम विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन करने में लगे हैं और प्रकृति समय-समय पर मानवजाति को अपना रौद्र रूप दिखाती है। हमें प्रकृति के संरक्षण की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, उसका संरक्षण हमारा परम कर्तव्य भी है, क्योंकि प्रकृति से ही हमें विभिन्न संसाधन, चीजें प्राप्त होतीं हैं। आज मानव पहाड़ों को काट रहा है, अंधाधुंध निर्माण कार्य कर रहा है, सुरंग, पुल, बांध बना रहा है। वनों को लगातार नष्ट करने में लगा है। पानी का असीमित दोहन कर रहा है, धरती की कोख को छलनी कर रहा है। हमें आज आपदाओं का समाधान ढूढ़ने की आवश्यकता अत्यंत महत्ती है। प्रकृति से तालमेल और सांमजस्य बिठाकर विकास करने की जरूरत है। बिगड़े पर्यावरण का ही परिणाम है कि मौसम चक्र में बदलाव दिखने लगा है, ग्लेशियर पिघलने लगे हैं व नदियों के जल स्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। भूस्खलन, भूकंप, सुनामी सभी प्रकृति से खिलवाड़ का ही नतीजा कहें जा सकते हैं। विकास की दौड़ में सीमाएं लांघने का ही परिणाम है कि पर्यावरण का स्वरूप आज एकदम से बदलने लगा है।

उर्जा का प्रवाह धीमा हो जाता है और वे अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यह सिर्फ़ एक परम्परा नहीं, हमारी संस्कृति की उस गहरी समझ का प्रतीक है जो प्रकृति के साथ तालमेल और संवेदनशीलता को पूजने योग्य मानती है। यह साथ मिलकर जीने का

देश में वनों की स्थिति

बढ़ रहा है पौधारोपण और घट रहे हैं वन

भारत सरकार ने देश में वन क्षेत्र की स्थिति को लेकर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की थी। इसमें दावा किया गया था कि देश में जंगल का इलाका बढ़ा है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि पूर्वोत्तर राज्यों में जैव विविधता से भरे जंगल का ह्रास हुआ है और 2009 के बाद से यहां वन क्षेत्र लगातार कम होता जा रहा है। वन क्षेत्र में वृद्धि के सरकारी दावे पर कई सवालिया निशान भी लग रहे हैं। जानकार, गणना के तरीकों पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि इस रिपोर्ट के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़, रबर, कॉफी और चाय बगानों की हरियाली को भी वन क्षेत्र के तौर पर शामिल कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले दस साल से कम समय में 45 से 64 फीसदी जंगल क्षेत्र क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट यानी जलवायु परिवर्तन की जद में आ जाएगा। 2050 तक देश का समूचा जंगल ही इसकी चपेट में होगा। भारत सरकार ने वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 (आईएसएफआर) जारी की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दो साल पहले की तुलना में देश के वन क्षेत्र में 2,261 वर्ग किलोमीटर (किमी) की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, यह दावा कठघरे में हैं और इस विषय के जानकार रिपोर्ट बनाने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। इन जानकारों का आरोप है कि वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने के लिए शहरों के लगे पेड़ और पौधरोपण को भी जंगल में शामिल कर लिया गया है। जानकारों का मानना है कि देश के वनों को लेकर बनी यह रिपोर्ट वानिकी जैसे विषय से अनभिज्ञ दिखती है। जैसे इसमें जिन इलाकों को जंगल माना गया है, अगर वहां वन संरक्षण कानून 1980 को लागू करने की कोशिश की जाए तो ऐसे इलाके जंगल होने के मापदंड पर खरे नहीं उतरेंगे। जैव विविधता से संपन्न पूर्वोत्तर राज्यों में जंगल लगातार कम हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबित पूर्वोत्तर में 1,69,521 वर्ग किलोमीटर जंगल है, जो कि पिछली सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के मुकाबले 1,020 वर्ग किमी कम है। यह चिंताजनक है क्योंकि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय,

वही सिद्धांत है जिस पर मनुष्य और पर्यावरण का संबंध टिका है। लेकिन जब सरकार ही इस संवेदनशीलता को कुचलकर, रात के अंधेरे में जंगलों का सौदा करने लगे, तो यह विकास नहीं, विनाश को बुलावा है। तेलंगाना बायोडायवर्सिटी बोर्ड (2019) के अनुसार, कांचा गाचीबोवली के इन जंगलों में 200 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां, कई तरह के रेंगने वाले जीव और

मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा दुनिया के 17 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ 7.98 प्रतिशत का यह हिस्सा भारत के वन क्षेत्र में लगभग 25 प्रतिशत का योगदान देता है।

अंधाधुंध कटाई के बीच कितने बचे हैं वन, पर्यावरण में क्या महत्त्व हैं वनों का?

अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन CoP 27 में वन संरक्षण पर पुनः बल दिया गया है। वृक्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वृक्ष हमारे लिए बहुपयोगी हैं, यह जानते हुए भी मनुष्य अपने स्वार्थों के लिए इनकी अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। अपने घरों, खेतों और वस्तुओं के निर्माण संबंधी आवश्यकताओं के लिए हम इनकी बलि चक्रा रहे हैं। जितनी तेजी से हम इनकी कटाई कर रहे हैं, उतनी तेजी से ही हम अपनी जड़ें भी काट रहे हैं। वृक्षों के कटाव के कारण आज भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वायुमण्डल में प्रदूषण की मात्रा बक्र रही है। वायुमण्डल में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बक्र रहा है। बर्फ भी इसी कारण लगातार पिघल रही है, जिससे समुद्र में जल स्तर उंचा उठ रहा है। तटीय क्षेत्रों के लिए यह एक खतरे की घंटी है। पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किमी है। जिसके लगभग दो तिहाई हिस्से (71 प्रतिशत यानि 36.1 करोड़ वर्ग किमी) में जल तथा एक तिहाई हिस्सा (29 प्रतिशत यानि 14.9 करोड़ वर्ग किमी) भूमि क्षेत्र है। सी.आई.ए. की वर्ल्ड फैक्ट बुक 2021 के अनुसार विश्व में वनों का क्षेत्रफल 3.9 करोड वर्ग किमी है, जो पृथ्वी के भूमि क्षेत्रफल का 26.17 प्रतिशत व कुल क्षेत्रफल का 7.64 प्रतिशत है। विश्व में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल रू स (81,49,300 वर्ग किमी) में है। जो रूस के भू-भाग का 49.40 प्रतिशत है।

इस क्रम में भारत दसवें स्थान (8,09,537 वर्ग किमी) पर है। पाकिस्तान में कुल भूमि का 1.9 प्रतिशत ही वन क्षेत्र है। पाकिस्तान ने वर्ष 1990 से 2010 के बीच 42,000 हेक्टेयर प्रति वर्ष वनों को खोया है। 2021 वर्ल्ड फैक्ट बुक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का वन क्षेत्र (8,09,537 वर्ग किमी) कुल भूमि क्षेत्रफल (3,287,263 वर्ग किमी) का 24.62 प्रतिशत है, जो वर्ष 2019 से 2261 वर्ग किमी ज्यादा है यानि इसमें 2 वर्षों में मात्र 0.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारतीय वन क्षेत्र की भागीदारी विश्व वन क्षेत्र में 2.07 फीसदी है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यप्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र (77,493 वर्ग किमी) है। वहीं हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र (1588 वर्ग किमी.) है। कुल भौगोलिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत में मिजोरम (84.53 प्रतिशत) प्रथम स्थान पर है। उसके उपरांत अरूणाचल प्रदेश (79.33 प्रतिशत), मेघालय (76.00 प्रतिशत), मणिपुर (74.34 प्रतिशत) और नगालैंड (73.90 प्रतिशत) का स्थान हैं। 2019-2021 के बीच भारत के वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश (647 वर्ग किमी) में हुई।

स्तनधारी जीव बसते हैं। यह इंडियन ग्रे हार्नबिल, पेंटेड स्टॉर्क, नेवले, सियार और कम दिखने वाली तितलियों का घर है। विकास के नाम पर चलने वाली कुल्हाडियों के बीच इन निरीहों का क्या होगा? क्या उन्हें कहीं और बसाना संभव भी है? यह तथाकथित विकास असल में सैकड़ों प्रजातियों के जीवन को हमेशा के लिए खत्म करने जैसा निर्दयी निर्णय है।

जानकार बताते हैं कि शहरों के बीच ऐसे जंगल अर्बन कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, यानी शहर के गंदे धुएं को सोखते हैं। इसरो (2021) और एनबीडीबी की रिपोर्ट कहती है कि यह हरा-भरा क्षेत्र हर साल लगभग 2,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। इसे खत्म करने का मतलब है हैदराबाद के बढ़ते तापमान और प्रदूषण को और बढ़ावा देना। सवाल यह है कि क्या पेड़ों की जगह उगने वाले उंचे-उंचे आईटी टावरों की चमक, धरती की बढ़ती प्यास और गर्मी को शांत कर पाएगी?

प्रकृति से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे पर्यावरण प्रेमी

बक्सवाहा के जंगल के अस्तित्व पर मंडराता खतरा

हीरा के लिए मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवाहा जंगल के लाखों पेड़ों को काटे जाने की कवायत के खिलाफ पर्यावरण योद्धाओं की लामबंदी तेज होती जा रही है। चर्चे में इसलिए कि हीरा खदान को लेकर बक्सवाहा के जंगल में लगे लाखों पेड़ों को काटने कवायत जहाँ चल रही है, वही बक्सवाहा जंगल बचाओ अभियान के मद्देनजर जंगल को बचाने के लिये देशभर में पर्यावरण प्रेमी अभियान छेड़े हुए हैं। बक्सवाहा बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। यहां आजीविका सुनिश्चित करने के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। लोग अपनी जीविका उपार्जन के लिए पलायन पर कई राज्यों, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जाते रहते हैं। इस क्षेत्र की खूबसूरती यह है कि देश दुनिया में बक्सवाहा के हरे भरे घने जंगल बनाम हीरे की खदान और हीरे की चमक ने इसे प्रसिद्ध कर रखा है। विश्व में सबसे उच्च स्तरीय हीरा बक्सवाहा में पाया जाने का दावा भी किया जा रहा है। बक्सवाहा विकासखंड में 40 ग्राम पंचायतें हैं। 131 राजस्व गांव हैं।

भारत सरकार के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के मुताबिक (सीजीडब्ल्यूए) बक्सवाहा तहसील सेमी क्रिटिकल श्रेणी में है। फिर भी करोड़ों लीटर पानी की बर्बादी की तैयारी है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना पर 2016 तक एक दूसरी कंपनी रियो टिंटो काम कर रही थी। उसी ने यह हीरा खदान खोजी थी। इसके लिए 2002 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसे लाइसेंस दिया था। तब सर्वेक्षण स्थल पर भारी तादाद में बंदर दिखे, जिससे इस परियोजना का नाम बंदर डायमंड प्रोजेक्ट पड़ा। हीरा खदान की पुष्टि होने के बाद आगे खोजबीन के लिए कंपनी को राज्य सरकार से 2006 में तीन वर्ष के लिए प्रोस्पेक्टिंग लायसेंस (पीएल) मिला। बाद में इसकी अवधि दो साल बढ़ा दी गई। जिसके खत्म होने पर कंपनी को पीएल रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 954 हेक्टेयर वनभूमि पर खनन की लीज के लिए सैद्धांतिक अनुमति दे दी। तब

बिना सोचे-समझे किया गया विकास तो हमेशा ही मुसीबतों को न्योता देता है। हैदराबाद पहले ही 2020 में भयानक शहरी बाढ़ का प्रकोप झेल चुका है। उस बाढ़ ने दिखाया था कि कैसे अवैध कब्ज़े और गलत निर्माण पानी के प्राकृतिक बहाव के

रियो टिंटो को क्यो प्रोजेक्ट छोड़कर भागना पड़ा?

मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में डायमंड प्रोजेक्ट का विरोध बढ़ गया है। बक्सवाहा के इस प्रोजेक्ट के लिए हजारों पेड़ काटे जाने हैं, जिन्हें पर्यावरण प्रेमी किसी भी कीमत पर बचाना चाहते हैं। पर्यावरण प्रेमी पहले भी इन पेड़ों को बचाने के लिए अड़ गए थे और सालों काम करने के बाद कंपनी को वापस जाना पड़ा था। बहुत कम समय में मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले का बक्सवाहा जंगल सोशल मीडिया के जरिए न केवल देशव्यापी मुद्दा बन गया बल्कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा है। कोरोना की भयावह त्रासदी के दौर में ऑक्सीजन, पेड़ों, जंगलों और कुल मिलाकर स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण की अहमियत लोगों को समझ में आई है। विशेष रूप से युवाओं की चेतना और सरोकारों में यह मुद्दा जुड़ गया है।

बक्सवाहा में हीरे के भंडार की खोज 2004 में आस्ट्रेलियाई हीरा कंपनी रियो टिंटों ने की थी। कंपनी ने 2002 से 2017 तक आवीक्षण और पूर्वेक्षण पट्टों के तौर पर आधिकारिक रूप से काम किया था। 2014 से इस कंपनी ने खनन लीज के लिए आवेदन किया था लेकिन औपचारिकताएं पूरी न हो पाने के कारण अंततः 2017 में रियो टिंटों ने यह डायमंड ब्लॉक मध्यप्रदेश सरकार के सुपुर्द कर दिया था। हीरा उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया की शीर्ष कंपनियों में शुमार आस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटों जैसी बड़ी कंपनी का इस तरह बैरंग लौटना हालांकि सामान्य बात नहीं थी।

दिसंबर 2019 में यह हीरा भंडार एनडीए सरकार द्वारा लाई गई नई खनन नीति के तहत नीलामी के लिए लाया गया। बिरला समूह की कंपनी एसेल माइनिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को यह खदान आने वाले 50 सालों के लिए हासिल हुई। समाचार पत्रों के अनुसार यह कोयला क्षेत्र के बाद प्राकृतिक संसाधनों की सबसे बड़ी और मंहगी नीलामी है जिसके लिए अडानी समूह की कंपनी चंडीपदा कोलारी और बिरला समूह की ईएमआईएल के बीच करीब 11 घंटे तक गलाकाट प्रतिस्पर्धा चली। बिरला समूह ने अपनी बेवसाइट पर लिखा है कि 2022 के अंत तक यहां काम शुरूकिया जाएगा। हालांकि बिरला समूह को भी यह एहसास है कि नीलामी में उन्हें जरूर सफलता हासिल हुई है लेकिन तमाम जरूरी अनुमतियां और सामाजिक स्वीकृति मिलना इतना आसान नहीं है और इसलिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में वह केविएट फाइल कर चुका है ताकि उसके पक्ष को सुने बगैर किसी भी प्रकार की याचिका पर एकपक्षीय फैसला न हो।

करीब 05 लाख पेड़ काटे जाने थे। स्थानीय लोग इसका विरोध करने लगे। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। व्यापक विरोध के चलते केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से रियो टिंटो को पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिली तो उसने 2016 में अपने हाथ पीछे खींच लिए। परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। इस बीच 2017 में खदान की नीलामी के लिए डीजीएमएमपी ने रियो टिंटो द्वारा सौंपी गई पीएल रिपोर्ट के आधार पर एक पुनर्गठित रिपोर्ट तैयार की।

बक्सवाहा बचाओ अभियान से जुड़े लोगों का आरोप है कि आर्थिक पटल पर बुंदेलखंड कमजोर है। सूखा, बुंदेलखंड को परेशान करता रहता है इस वजह से यहां पर पलायन भी अधिक होता है। बक्सवाहा में मात्र एक नदी है जिसे गैल नदी के नाम से जानते हैं। जंगल के बीच से गुजरने वाली नदी को डायवर्ट कर यहां पर बांध बनाकर पानी रोका जाएगा। जिससे सीधे तौर पर 05 गांव पानी के लिए दर-दर भटकेंगे। एसेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बिरला ग्रुप के डायमंड परियोजना में प्रतिदिन एक करोड़ 60 लाख 50 हजार लीटर पानी की प्रतिदिन खपत होगी। सूखे की समस्या से ग्रस्त क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट के द्वारा भूमिगत जल को भी निकाला जाएगा। अब स्थिति कितनी भयंकर हो सकती है इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। आज की स्थिति में बक्सवाहा में शहरी क्षेत्र में 10,216 की जनसंख्या लोगों को नियमित इस्तेमाल और पीने के पानी को खरीद अपनी प्यास बुझाकर अपने जीवन को चला रहे हैं।

रास्तों को रोककर संकट को कई गुना बढ़ा देते हैं। कांचा क्षेत्र में भी कई मौसमी तालाब और पानी के नाले हैं। इन्हें खत्म करना भविष्य की बाढ़ को सीधा बुलावा देना है। यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, सोच की भी है। यह उसी मानसिकता का प्रतीक है

बक्सवाहा जंगल को बचाने के सवाल के साथ साथ वहां की संस्कृति, जीवन और इतिहास को भी बचाने की आवाज़ है लगातार उठने लगी है। देश भर में सेमिनार, वेबिनार, रैली, साईकिल यात्रा सहित विभिन्न आयोजनों के माध्यम से बक्सवाहा बचाओ अभियान से जुड़े पर्यावरण योद्धा संघर्ष कर रहे हैं। अभियान बक्सवाहा के जंगलों को बचाने की लामबंदी को तेज कर दिया है। बक्सवाहा के जंगल में हीरा के खनन का काम एक निजी कंपनी के हाथों में सौपें जाने के खिलाफ पर्यावरण प्रेमियों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, विरोध तेज हो रहा है तो मामला न्यायालय तक पहुंच चुका है। अब लोग जंगल को बचाने के लिए एकजुटता दिखाने की कोशिश में लग गए हैं।

सरकार जो 2,15,875 पेड़ काटने का दावा कर रहे हैं। उस से 3 गुना ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। साथ ही जंगलों पर आश्रित परिवारों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हमारा जंगल ही हमारा जीवन है अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा क्योंकि हम प्रति परिवार हर वर्ष 200000 रूपये जंगल से बिना किसी लागत से आय प्राप्त करते हैं जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। यहां बहुमूल्य औषधियां भी हैं, जोकि स्थानीय वैद्य से बात करने के बाद पता चला कि कोरोनाकाल में स्वास्थ्य सेवाएं वंचित हो गई थी तब उन्होंने इन जड़ी-बूटियों के माध्यम से स्थानीय लोगों को ठीक करने का काम किया है। पाषाणकाल युग के शैलचित्र विश्व धरोहर घोषित करने के लिए भी स्थानीय लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया जिसके बाद पुरातत्व विभाग हरकत में आया और उसका सर्वेक्षण कर उन विश्व धरोहर की रिपोर्ट अपने विभाग के समक्ष प्रस्तुत की और कई ऐतिहासिक मूर्तियां होने का भी दावा किया जा रहा है।

बक्सवाहा जंगल में बंदर, भालू, तेंदुआ, बारहसिंघा, बाज, हिरण जैसे वन्यजीव मौजूद हैं। करीब 35 फीसदी आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं। लोग आर्थिक रूप से वनोपज पर निर्भर हैं। साल में केवल एक फसल मसूर या सोयाबीन की होती है, उसके बाद लोग

जिसमें सब कुछ हथिया लेने की भूख ही विनाश का कारण बनती है। रात के अंधेरे में यह नीलामी दिखाती है कि पारदर्शिता, लोगों से बातचीत और पर्यावरण की चिंता जैसे ज़रूरी मूल्यों को नजरअंदाज कर दिया गया है। जब पेड़ों पर बने घोंसले उजड़ते हैं, जब

जंगल में पनपे महुआ और तेंदूपत्ता पर निर्भर रहते हैं। महुआ देसी शराब और तेल जबकि तेंदूपत्ता बीड़ी बनाने के काम आता है। बीड़ी बनाना कई परिवारों का रोजगार है। जमीन से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है। ये सभी बिंदु वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लोगों के वनाधिकार और जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। वन्यजीव अधिनियम की सूची-1 में दर्ज सात संरक्षित वन्यजीव जंगल में थे लेकिन हालिया रिपोर्ट (2019) में प्रस्तावित वनभूमि के आस-पास कोई वन्यजीव नहीं है। ऐसा कैसे संभव है कि ढाई साल में सब विलुप्त हो गए?

गौरतलब है कि बक्सवाहा जंगल नौरादेही वाइल्डलाइफ सेंचुरी और पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच का कॉरिडोर हैं। यहां टाइगर रिजर्व का 19 हेक्टेयर बफर जोन भी है। उपरोक्त रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि जंगल उजड़ने पर स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। प्रभावित इलाके में ज्यादातर दलित-आदिवासी हैं। इनकी आजीविका महुआ, तेंदूपत्ता आदि बीनकर चलती है। जंगल कट जाएंगे तो 15 गांव आजीविका संकट से जूझेंगे। यह सच है कि परियोजना में 400 लोगों के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार की बात है, लेकिन यह उल्लेख नहीं है कि स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि 382 में से केवल 62 हैक्टेयर मुख्य खनन क्षेत्र है। बाकी ज़मीन में खनन प्रक्रिया से निकला मलबा डंप होगा। मलबा उस जमीन पर डंप कर सकते हैं जहां क्षतिपूर्ति वन स्थापित करना है। इससे केवल 62 हेक्टेयर जंगल कटेगा। भरा-पूरा जंगल क्यों उजाड़ें? जंगल एक दिन में खड़ा नहीं होता। 100 पेड़ लगाएंगे, तब 10 जीवित बचेंगे। इसकी पुष्टि मध्यप्रदेश वन विभाग के हालिया आंकड़े भी करते हैं। जिनके मुताबिक बीते छह सालों में सरकार द्वारा पौधरोपण पर 1,638 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद भी 100 वर्ग किलोमीटर जंगल घट गया है।

कोयल, तोते और चातक की आवाज़ें खामोश हो जाती हैं, तो यह सिर्फ़ एक प्राकृतिक घटना नहीं, एक नैतिक सवाल भी है। क्या इस धरती पर सिर्फ़ मानवों का अधिकार है? पक्षियों के प्रजनन, हिरणों और नेवलों के ठिकानों को रौंदकर जो

विकास होगा, वह अंदर से खोखला होगा, क्योंकि उसकी नींव में हजारों दबी हुई आहें होंगी। हैदराबाद विश्वविद्यालय देश का एक जाना-माना शोध संस्थान है। वहां का ग्रीन कैंपस परंपरा छात्रों को सिर्फ़ ज्ञान ही नहीं, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता भी सिखाता

हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खदान खोले जाने का मामला

आदिवासी कर रहे आंदोलन, जंगल और जमीन बचाने के लिए लामबंदी

छत्तीसगढ़ में जल, जंगल और जमीन बचाने की लड़ाई में आदिवासी लामबंद हो गए हैं। प्रदेश के आदिवासी वर्ग का अर्सतित्व खतरे में पड़ गया है। उनके सामने रोजी-रोटी का संकट मंडराने का खतरा पैदा हो गया है। यह पहला मौका नहीं है जब प्रदेश की सरकार ने आदिवासियों के हकों पर हो रहे अत्याचार पर आवाज नहीं उठाई है। इससे पहले सरकार ने जल, जंगल और जमीन के मामलों में उद्योगपतियों का ही पक्ष लिया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में करीब एक लाख सत्तर हजार हेक्टेयर में फैले हसदेव अरण्य के वन क्षेत्र में जंगलों पर उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों ने जंगलों को बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल इस पूरे वनक्षेत्र में कोयले का अकूत भंडार छुपा हुआ है और यही इन जंगलों पर छाए संकट का कारण भी है। पूरे इलाके में कुल 20 कोल ब्लॉक चिन्हित हैं, जिसमें से 06 ब्लॉक में खदानों के खोले जाने की प्रक्रिया जारी है। एक खदान परसा ईस्ट केते बासेन शुरूहो चुकी है और इसके विस्तार के लिए केते एक्सटेंशन के नाम से नई खदान खोलने की तैयारी है। वहीं परसा, पतुरिया, गिधमुड़ी, मदनपुर साउथ में भी खदानों को खोलने की कवायद जारी है। इन परियोजनाओं में करीब एक हजार आठ सौ बासठ हेक्टेयर निजी और शासकीय भूमि सहित सात हजार सात सौ तीस हेक्टेयर वनभूमि का भी अधिग्रहण होना है। खदानों की स्वीकृति प्रक्रियाओं से ग्रामीण हैरान हैं और इसके विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। गौरतलब है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्कालीन मंत्री जयराम रमेश द्वारा

है। इस शांत परिसर के पास उंची इमारतें, बढ़ता ट्रैफिक और गंदगी, पढ़ाई और शोध

के वातावरण को नष्ट कर देगा। भारत में हर साल वनों की कटाई की सटीक संख्या

अलग-अलग स्रोतों में भिन्न हो सकती है, लेकिन हाल के अनुमानों के अनुसार, हर

खदानें खुलने से वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में

पूरा इलाका सघन वनों से भरपूर है। यही क्षेत्र हसदेव बांगो (मिनीमाता बांगो बांध) का कैचमेंट एरिया है। खदानों के खुलने से हसदेव व चोरनई नदियों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा, जिससे बांध पर भी सूखे का संकट आ जाएगा, जबकि इसी बांध के पानी से ही करीब चार लाख तिरेपन हजार हेक्टेयर खेती की जमीन सिंचित होती है। साथ ही इस इलाके के जंगल हाथी, भालू, हिरण और अन्य दुर्लभ वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। खदानों से इनके अस्तित्व पर भी संकट आ जाएगा। बता दें कि इस पूरे क्षेत्र में हाथियों का लगातार आवागमन होता रहता है और आए दिन हाथी मानव द्वंद की घटनाएं होती रहती हैं। वन क्षेत्र कम होने से यह समस्या और भी विकराल रूप धारण कर सकती है। परसा कोल ब्लॉक के प्रभावित ग्राम घाटबर्रा में जनवरी 2018 में तीन महिलाओं तथा जनवरी 2019 में परसा गांव में एक बुजुर्ग और ईंट भट्ठे में काम करने वाली नवविवाहित युवती की हाथियों के हमलों में जान जा चुकी है। आदिवासियों के आंदोलन के दौरान ही आठ हाथियों का दल क्षेत्र में विचरण कर रहा था, जिसकी चेतावनी वन विभाग के द्वारा साल्ही, हरिहरपुर, फत्तेहपुर और घाटबर्रा के ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए जारी की गई थी। गांवों के कोटवारों द्वारा भी मुनादी की गई थी। पर हैदराबाद की कंपनी विमटा लैब लिमिटेड द्वारा परसा कोल ब्लॉक की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए तैयार किए गए ईआईए (पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन) रिपोर्ट में इस क्षेत्र में साल 2013 के बाद हाथियों का आवागमन नहीं होना दर्शाया गया है। कोल ब्लॉक के कोर जोन में पाए जाने वाले कई तरह के सरीसृप, चिड़ियों की कई प्रजातियां, स्तनधारी वन्य जीव जंतु, प्राकृतिक जलस्रोत, छोटे नाले और उनमें रहने वाली मछलियां और अन्य जलीय जीव तथा संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रजाति के पेड़ पौधों का जिक्रतक नहीं है। यहां तक कि करमी पेड़ और जिंवटी मछली तक ईआईए रिपोर्ट से नदारद हैं, जबकि पूरे सरगुजा संभाग के ग्रामीण अंचल में मनाए जाने वाले करमा त्यौहार का नाम ही करमी पेड़ से पड़ा है।

साल 2009 में हसदेव अरण्य क्षेत्र को नो गो क्षेत्र घोषित किया गया था। हालांकि साल 2011 में परसा ईस्ट केते बासेन और तारा कोल ब्लॉक में खनन की अनुमति यह कहते हुए दी कि ये बाहरी भाग में हैं और इनमें खनन परियोजनाओं से जैव विविधता को ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, पर इसके बाद किसी भी अन्य परियोजना को अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद भी फिर से इस क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। प्रस्तावित परियोजनाएं सरगुजा, सूरजपुर और कोरबा जिले के अंतर्गत हैं। तीनों ही जिले पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र हैं, जहां पेसा कानून 1996 का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में ग्रामसभा का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। पूरे क्षेत्र की 20 ग्राम सभाओं ने अक्टूबर 2014 में कोल परियोजनाओं के विरोध में प्रस्ताव पारित किया था। इस परियोजना के लिए फर्जी ग्रामसभा के माध्यम से अनुमति की प्रक्रिया की गई है जबकि इसकी लिखित शिकायत कलेक्टर सरगुजा से की गई है पर इस मामले में कार्रवाई तो दूर जांच तक नहीं की गई है। वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के तहत आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने की मंशा रही है। इस कानून की धारा 4 (5) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश (30 जुलाई 2009) के अनुसार जब तक वन संसाधनों पर व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों के मान्यता की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती और संबंधित ग्रामसभा की लिखित सहमति नहीं मिल जाती है, तब तक किसी भी परियोजना के लिए वन भूमि का डायवर्जन नहीं हो सकता है।

साल लगभग 179 हेक्टेयर प्राकृतिक वन खोए जाते हैं, जो 89.6 मीट्रिक टन CO_2 उत्सर्जन के बराबर है। 2015 से 2020 के बीच, वनों की कटाई की दर लगभग 6,68,000 हेक्टेयर प्रति वर्ष थी।

केन-बेतवा परियोजनाः विस्थापन और पर्यावरण नुकसान अब भी समस्या

25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के खजुराहो में केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। लगभग 44,605 करोड़ रूपए की लागत यह प्रोजेक्ट बांधों, नहरों और सुरंगों की एक प्रणाली के माध्यम से केन नदी का पानी बेतवा नदी में ट्रांसफर करने को लेकर शुरू किया गया है। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों की पीने के पानी की समस्या दूर करना है। साल 2005 में सबसे पहले इस योजना की परिकल्पना की गई, लेकिन कई तरह के विरोधों के चलते यह परियोजना सिरे नहीं चढ़ पाई। सरकार का यह भी दावा है कि यह परियोजना क्षेत्र के लोगों को पेयजल सुविधाएं भी प्रदान करेगी। साथ ही, इससे 100 मेगावाट से अधिक हरित उर्जा उत्पादन होगा। इस परियोजना से रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जाएगा। लेकिन जब से इस योजना की बात शुरू हुई है, तब से ही कई ऐसे सवाल भी उठते रहे हैं, जिन पर फिलहाल बात नहीं हो रही है। खासकर, इस परियोजना का पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की अनदेखी की जा रही है। वन्यजीव संरक्षण पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां विकास का नाम लेकर इस परियोजना को महिमा मंडित किया जा रहा है वहीं अन्य दूसरे पर्यावरणीय पहलुओं को

भारत ने 2000 से 23 लाख हेक्टेयर से अधिक वन खो दिया है। भारत में वनों की कटाई की दरें समय के साथ बदल रही हैं। 1990 के दशक में, वनों की कटाई की दर 16 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष से अधिक थी, जो 2015 से 2020 के बीच 10

अनदेखा किया जा रहा है। यही कारण है कि इस परियोजना के जितने समर्थक हैं उतने ही विरोधी भी हैं। दूसरा सवाल विस्थापन को लेकर भी है। आज भी इस क्षेत्र में प्रभावित होने वाले लोगों का विस्थापन या मुआवजा का वितरण नहीं हुआ है। जो पहली प्राथमिकता में होना चाहिए। क्योंकि इससे उनकी आजीविका ही छिन रही है। एक पहलु से इस परियोजना को विकास के नाम पर बेहतर माना जा सकता है लेकिन सरकार को बुनियादी पहलुओं पर विचार करना होगा। निश्चित रूप से यह परियोजना वृहद परियोजना है। पर्यावरण और वन्यजीवों का काफी नुकसान होगा। बड़े क्षेत्र के लोग भी प्रभावित होंगे। हम मानते हैं कि बुंदेलखंड सूखा प्रभावित क्षेत्र है, पर यह भी सच है कि बुंदेलखंड पर्यावरण की दृष्टि से काफी संपन्न है, जो कहीं न कहीं इस परियोजना से प्रभावित हो रहा है। जिस पर नीति निर्धारकों को गंभीरता से विचार करना होगा। तभी सही मायने में विकास की परिभाषा को परिकल्पित किया जा सकता है। ये तो सच है कि अगर नदियों को एक-दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, तो इससे कई इलाकों का सूखा समाप्त हो जाएगा और क्षेत्र का विकास होगा। नई पनबिजली परियोजनाएं शुरूहो सकेंगे और पीने के पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसी परियोजनाओं के नुकसान भी हैं। इससे जंगल और दूसरे कई इलाके डूब क्षेत्र में बदल सकते हैं। नदियों को जोड़ने से उनकी पारिस्थितिकी पर भी असर पड़ेगा। दुर्लभ मछलियों और जीव-जंतुओं पर संकट आ सकता है। एक इलाके का पानी दूसरे इलाके में पहुंचने से हवा के पैटर्न में भी बदलाव आ सकता है, जिससे मौसम और मिट्टी की नमी पर असर पड़ सकता है। यह आश्चर्य की बात है कि बाँध बनाए बिना जल-संरक्षण और जल-संचयन विधियों जैसे विकल्पों पर इस क्षेत्र में गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। इस तरह के बड़े पैमाने पर समाधान हमेशा व्यवहार्य और सर्वश्रेष्ठ नहीं होते हैं। परियोजना के लाभों को भी गंभीर संदेह के रूप में देखना चाहिए क्योंकि इसके निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक नुकसान होगा जिसके अंतर्गत संरक्षित वन्यजीव भी शामिल हैं। अतः ऐसी महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण से पूर्व पारिस्थितिकी संतुलन को बनाये रखने के संदर्भ में विचार करना आवश्यक है। बुंदेलखंड के लोगों को निश्चित रूप से बेहतर जल पहुंच और प्रबंधन की आवश्यकता है, जैसा कि 08 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के अवसर पर मीडिया ब्रीफिंग नोट में दावा किया गया है। लेकिन केन बेतवा

मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष तक कम हो गई। आंकड़ों की मानें तो पांच वर्षों के दौरान भारत में 668,400 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले वन क्षेत्र को काट दिया गया है। 2015 और 2020 के बीच, वनों की कटाई की दर 10 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष अनुमानित की

लिंक परियोजना (केबीएलपी) बुंदेलखंड के लिए, बुंदेलखंड की या बुंदेलखंड द्वारा नहीं है। यह परियोजना बुंदेलखंड के लिए अविश्वसनीय रूप से भारी प्रतिकूल प्रभाव लाएगी और ऐसे लाभों का वादा करती है जिनका वादा दशकों पहले किया गया था, लेकिन कभी हासिल नहीं हुआ। वास्तव में बुंदेलखंड के लिए बहुत बेहतर, सस्ते, कम प्रभावशाली और तेज़ विकल्प मौजूद हैं, अगर सरकार की इच्छाशक्ति हो। देश का कानून कहता है कि कार्यान्वयन के लिए किसी परियोजना को शुरू करने से पहले, उसे वन मंजूरी, वन्यजीव मंजूरी सहित सभी आवश्यक मंजूरियाँ लेनी चाहिए और किसी भी लंबित कानूनी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। केबीएलपी के मामले में, इसे अंतिम वन मंजूरी नहीं मिली है, सर्वोच्च न्यायालय की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा इसके वन्यजीव मंजूरी के बारे में बहुत ही बुनियादी सवाल उठाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, पर्यावरण मंजूरी को लेकर एक कानूनी चुनौती राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष लंबित है। अगर कानून का शासन होता तो कैबिनेट को इस परियोजना को मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की कैबिनेट ने इस विनाशकारी परियोजना को मंजूरी देने का फैसला किया। कैबिनेट के इस फैसले से यह सवाल उठता है कि क्या कैबिनेट को ऐसी परियोजना का समर्थन करना चाहिए जिसके पास सभी वैधानिक मंजूरियाँ नहीं हैं और जिसकी उपलब्ध मंजूरियों को लेकर कानूनी चुनौती विभिन्न न्यायिक निकायों के समक्ष लंबित है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट क्या संकेत दे रहे हैं, इस समर्थन से वैधानिक और न्यायिक निर्णयकर्ताओं पर किस तरह का दबाव पड़ता है? 30 अगस्त, 2019 को केबीएलपी पर सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय रिपोर्ट में, सीईसी ने न केवल परियोजना को दी गई वन्यजीव मंजूरी की उपयुक्तता पर बल्कि परियोजना की व्यवहार्यता और वांछनीयता पर भी बुनियादी सवाल उठाए हैं। इसने कहा कि इस परियोजना से पीटीआर में 10500 हेक्टेयर वन्यजीव आवास का नुकसान

गई थी, जो 1990 के दशक में 16 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष से कम थी। भारत ने पिछले 30 वर्षों के दौरान जंगलों के होते सफ़ाए के मामले में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी है। इसमें 2015 से 2020 के बीच उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों की

होगा, इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व (पीटीआर) का 9000 हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। यह परियोजना इस आधार पर आधारित है कि दो नदियों में से छोटी केन में अधिशेष पानी है जिसे बड़ी बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन उस आधार का समर्थन करने का दावा किया जाने वाला हाइड्रोलॉजिकल डेटा सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, किसी भी स्वतंत्र विश्वसनीय एजेंसी द्वारा कभी भी जांच नहीं की गई है। जमीनी हकीकत और उपलब्ध तथ्य बताते हैं कि परियोजना का हाइड्रोलॉजिकल आधार हेरफेर की एक गुप्त कवायद है। सीईसी रिपोर्ट उपरी केन बेसिन की वर्तमान और भविष्य की पानी की जरूरतों के बारे में सवाल उठाती है, जिसे स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया गया है। इस परियोजना से इस बहुसंख्यक जनजातीय क्षेत्र को स्थायी रूप से पिछड़ा बनाए रखने की संभावना है। केन बेसिन और बुंदेलखंड को बेतवा बेसिन में सिंचाई इंजीनियरों की पिछली गलतियों की कीमत चुकाने के लिए कहा गया है, जैसा कि सीईसी रिपोर्ट में कहा गया है, उपरी बेतवा बेसिन की कीमत पर निचले बेतवा बेसिन में सिंचाई सुविधाओं के विकास में यह दोषपूर्ण योजना अब प्रस्तावित है केन बेसिन से पानी के प्रतिस्थापन द्वारा ठीक किया गया। इस संदर्भ में एफएसी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया जिसे कभी लागू नहीं किया गया, यह सुझाव दिया गया है कि प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों से ली गई सतही जल जल विज्ञान पर स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक टीम से केन बेतवा के जल विज्ञान संबंधी पहलुओं की जांच करने का अनुरोध किया जाना चाहिए था। नदी लिंक इतनी महंगी और प्रभावशाली परियोजना की हाइड्रोलॉजिकल बुनियाद की स्वतंत्र जांच से सरकार क्यों डरती है? स्पष्टतः इसमें छिपाने के लिए बहुत कुछ है।

मानें तो इन पांच वर्षों के दौरान भारत में 668,400 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले वन क्षेत्र को काट दिया गया है। भारत ने 1990 से 2000 के बीच अपने 384,000 हेक्टेयर में फैले जंगलों को खो दिया था। वहीं 2015 से 2020 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर

वनों को बचाने के ऐतिहासिक आंदोलन

चिपको आंदोलन, उत्तराखंड

जंगल को बचाने के लिए कई आंदोलन हुए हैं। इसमें सबसे प्रमुख चिपको आंदोलन था। 1973-74 में हुए इस आंदोलन का श्रेय गौरा देवी को है। उन्हें चिपको वूमेन भी कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरु आत उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल और चमोली में 1973 में यह ऐतिहासिक आंदोलन शुरूहुआ था। आंदोलन की प्रमुख मांग थी कि जंगल के पेड़ों और संसाधनों का मुनाफा स्थानीय लोगों के हक में होना चाहिए। इस आंदोलन में कई बड़े नेता शामिल रहे लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और सुदेशा देवी की इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। सुंदरलाल बहुगुणा पेड़ों और जंगलों को लेकर पर्यावरण से जुड़ी जागरूकता फैलाया करते थे। इससे लोग पेड़ों को गले लगाने लगे और पवित्र धागे बांधने लगे थे। जिससे उन्हें काटने से बचाया जा सके। जहां भी पेड़ कटने सूचना मिलती सैकड़ों ग्रामीण पेड़ों को पकड़कर खड़े हो जाते। इस आंदोलन के कारण ही 1981 में 30 डिग्री ढलान से उपर और 1000 एमएसएल से उपर पेड़ों की व्यावसायिक कटान पर रोक लगा दी गई थी।

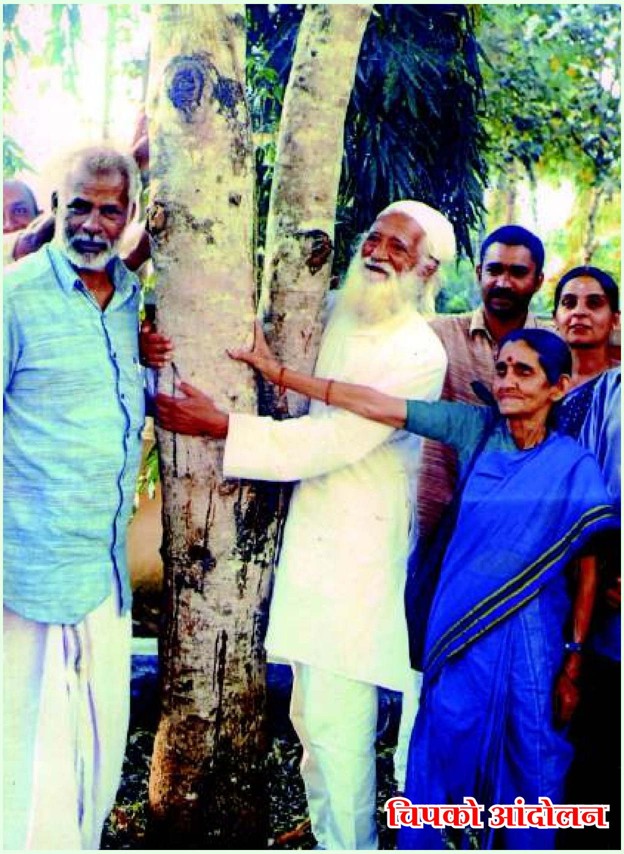
चिपको आंदोलन

हसदेव जंगल, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को काटने को लेकर भी लंबा आंदोलन चला, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे। 01 लाख 70 हजार हेक्टेयर में फैले हसदेव जंगल के नीचे कोयले का भंडार मिला था। इसके लिए केंद्र सरकार ने माइनिंग की अनुमति दे दी थी। इसके बाद यहां के 09 लाख पेड़ों को काटने की मुहिम शुरू की गई। हसदेव जंगल को बचाने के लिए दो साल से अधिक समय से आंदोलन चल रहा है। लेकिन केंद्र से अनुमति मिलने के बाद यहां कटाई शुरू हो गई, जो कि निर्बाध रूप से जारी है। केंद्र ने यहां पांच कोयला खदानें आवंटित की हैं। अनुमान है कि इन खदानों से 5500 मिलियन टन कोयला उत्पादन होगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफइंडिया की 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार हसदेव जंगल में लोहार, ओरांव, गोंड आदिवासी जनजातियों के हजारों लोग रहते हैं। इसके अलावा यहां दुर्लभ वनस्पतियां, तितलियां, पक्षी भी हैं। यहां एक हसदेव नदी भी बहती है। इसी नदी के कैचमेंट एरिया में हसदेव जंगल है। इस जंगल को मध्य भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है। लेकिन कोयला की खदानों से अरबों रूपये कमाने के फेर में बड़े जंगल पर आरा चल रहा है।

668,400 हेक्टेयर हो गया है। मतलब कि इन दो समयावधियों के दौरान भारत में वन विनाश में 284,400 हेक्टेयर की वृद्धि देखी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। देखा जाए तो इसके लिए कहीं न कहीं देश में बक्रती आबादी जिम्मेवार है जिसकी लगातार

आरे गार्डन आंदोलन, मुंबई

मुंबई की आरे कॉलोनी के पेड़ों को काटकर मेट्रो विस्तार किया जाना था। यहां मेट्रो शेड बनाने के लिए बीएमसी ने 2200 से अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी। जिसका विरोध कालोनी के नागरिकों ने शुरू कर दिया था। 4 अक्टूबर 2017 को मुंबई हाईकोर्ट ने मुंबई की आरे कालोनी में मौजूद पेड़ों को काटने से रोकने के लिए दायर याचिका को खारिज किया, कालोनी के लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने चिपको आंदोलन की तर्ज पर सेव आरे आंदोलन शुरू कर दिया। ये सब मुंबई में देवेंद्र फडनवीस सरकार के कार्यकाल में हुआ। जैसे ही उद्धव ठाकरे की सरकार बनी इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया।

जंगल बचाओ आंदोलन, झारखंड

जंगल बचाओ आंदोलन, जिसे झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 1980 के दशक में झारखंड में शुरू हुआ था। यह आंदोलन आदिवासी समुदायों के वनों के अधिकारों और संरक्षण के लिए संघर्ष था। आंदोलन ने सरकार द्वारा प्राकृतिक साल के जंगलों को व्यावसायिक सागौन के बागानों से बदलने के प्रस्ताव का विरोध किया। हालांकि, इसके लिए जनजातीय समुदाय को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 1978 से 1983 तक चले इस सघन आंदोलन के दौरान 18 आंदोलनकारी मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और 15 हज़ार मुकदमे दर्ज किए गए।

साइलेंट वैली आंदोलन

साइलेंट वैली आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन था जो भारत के केरल में साइलेंट वैली के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन को जलविद्युत परियोजना से बचाने के लिए शुरू किया गया था। यह आंदोलन 1973 में शुरूहुआ और 1984 में साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने में सफल रहा।

बक्रती जरूरतों के लिए तेजी से जंगल काटे जा रहे हैं। दुनिया भर में जहां एक ओर जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर पेड़ों की कटाई थमने का नाम नहीं ले रही। भारत में साल 2001 से 2020 के बीच 20 लाख हैक्टेयर

भारत में 33 प्रतिशत क्षेत्र में वन होना आवश्यक

विश्व में कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 31 प्रतिशत है। यह क्षेत्र प्रति व्यक्ति लगभग 0.52 हेक्टेयर के बराबर है, लेकिन वन विश्व भर में समान रूप से वितरित नहीं हैं। विश्व के आधे से अधिक वन केवल पांच देशों में पाए जाते हैं और दो तिहाई वन 10 देशों में पाए जाते हैं। आंकलन के अनुसार, देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किमी है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 प्रतिशत है। वनावरण का क्षेत्रफल लगभग 7,15,343 वर्ग किमी. है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में 33 प्रतिशत क्षेत्रों में वन होना आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य वायुमंडलीय संतुलन सहित पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है। दो-तिहाई वन और वृक्ष आवरण को पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए रखना है। रूस में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, 800 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा। ब्राज़ील, संयुक्तराज्य अमेरिका, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में भी वनों का बड़ा क्षेत्र है। प्रत्येक में 100 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा।

की जमीन पर फैले पेड़ों की कटाई की गई है। 2000 के बाद से लगभग 5 फीसदी पेड़ पौधे वाली जमीन में कमी आई है। एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार, इस नुकसान का तीन चौथाई पूर्वोत्तर के सात राज्यों में देखा गया है।

बेंगलुरु और गुरूग्राम का सबक

बेंगलुरु और गुरु ग्राम में आईटी पार्कों के नाम पर हरियाली मिटाने के परिणाम हम देख चुके हैं। बढ़ता कार्बन धुआं, गहराता जल संकट और अर्बन हीट आइलैंड (शहरों का ज्यादा गर्म होना)। कांचा गाचीबोवली

देश में इतना क्षेत्र का है राष्ट्रीय स्टैंडर्ड

1988 की राष्ट्रीय वन नीति कहती है कि पारिस्थितिकी स्थिरता बनाए रखने के लिए भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 33 प्रतिशत भाग वन के अंतर्गत होना चाहिए। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष तीन राज्य मध्य प्रदेश (77,073 वर्ग किमी) हैं, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश (65,882 वर्ग किमी) और छत्तीसगढ़ (55,812 वर्ग किमी) हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में, लक्षद्वीप (91.33 प्रतिशत) में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, उसके बाद मिजोरम (85.34 प्रतिशत) और अंडमान और निकोबार द्वीप (81.62 प्रतिशत) हैं। 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 33 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र में है। इनमें से आठ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अर्थात् मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में वन क्षेत्र 75 प्रतिशत से अधिक है।

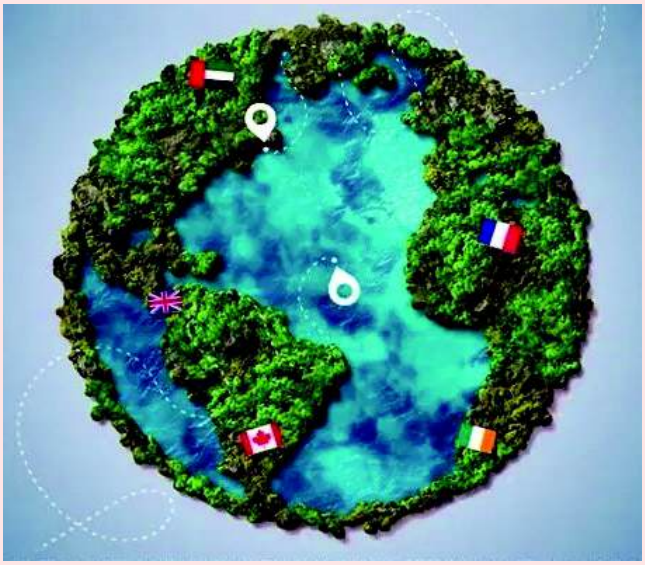

को भी उसी विनाशकारी रास्ते पर धकेला जा रहा है। यह एक चेतावनी है जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता। भारत ने संयुक्तराष्ट्र के टिकाउ विकास लक्ष्यों के प्रति वचनबद्धता जताई है, जिनमें जलवायु कार्रवाई, भूमि पर जीवन, और टिकाउ शहर शामिल हैं। तेलंगाना सरकार का यह फ़ैसला इन तीनों लक्ष्यों का सीधा उल्लंघन है और हमारी राष्ट्रीय जम्मिेदारियों के विरूद्ध है। प्रश्न उठता है, ऐसे में क्या कोई रास्ता है? अगर विकास जरूरी है, तो क्या विनाश ही एकमात्र रास्ता है? विकल्प मौजूद हैं। इस क्षेत्र को शहरी पारिस्थितिक वन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। आईटी पार्क को शहर में खाली पड़ी पुरानी

दुनिया के सबसे बड़े जंगल

अमेज़न वर्षावन - दक्षिण अमेरिका का अमेजन वर्षावन जंगल 55 लाख किमी तक फैला हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। यह जंगल कुल ऑक्सीजन का 20 प्रतिशत अपने आप उत्पादित करता है। यह जंगल कुल 9 देशों में फैला हुआ है।

कांगो वर्षावन - यह वन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है, जो अफ्रीका में है। जिसका अधिकांश भाग कांगो देश के साथ-साथ 6 देशों में भी फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 23 लाख वर्ग किमी से अधिक है।

वाल्दीवियन टेंपरेट वर्षावन - दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जंगल वाल्दीवियन टेंपरेट वर्षावन 2,48,100 किमी (चिली तथा अर्जेंटीना) तक फैला हुआ है।

डेंट्री जंगल- ऑस्ट्रेलिया का यह वन दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है।

बड़ी उपलब्धिः पितृ पर्वत में रोपित सभी पौधे जीवित

पर्यावरण में कीर्तिमान स्थापित करने में कैलाश विजवर्गीय का मुख्य योगदान

मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के समेर्पित कार्यकर्ता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के महापौर के कार्यकाल से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। जिसका जीवंत उदाहरण है इंदौर के समीप स्थित पितृ पर्वत। यह पितृ पर्वत आज पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण पेश कर रहा है। पितृ पर्वत में आज लाखों की संख्या में पौधों का रोपण हो चुका है और सभी पौधों जीवित हैं जो एक पर्वत के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। जबकि अन्य जगहों पर हर साल सरकार और समाज द्वारा लाखों पौधों

औद्योगिक जमीन पर बनाया जा सकता है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले जनता, विश्वविद्यालय और पर्यावरण जानकारों से सलाह ली जानी चाहिए। इस क्षेत्र में इको-टूरिज्म (पर्यावरण अनुकूल पर्यटन), शैक्षणिक भ्रमण केंद्र या बायोडायवर्सिटी

बंजर था पितृ पर्वत, पूर्वजों की याद में लगवाए ढाई लाख पौधे

का रोपण होता है लेकिन कम संख्या में ही पौधे जीविज रहते हैं लेकिन बड़ी उपलब्धि ये है कि पितृ पर्वत पर लगाये जाने वाले सभी पौधे जीवित रहते हैं और पेड़ का रूप लेते हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि रोपित पौधों को पूरे समय संरक्षित किया जाता है, उनकी देखरेख की जाती है। इस पितृ पर्वत को साकार रूप प्रदान करने का श्रेय कैलाश विजयवर्गीय को ही जाता है। यहां पर लोग अपने माता-पिता या पूर्वजों की याद में पौधों का रोपण करते हैं। पितृ पर्वत में लोग पितरों के नाम से एक पौधा लगाते हैं। यह क्रम वर्षों से चल रहा है। पितरों की स्मृति में यहां एक लाख पौधारोपण किया गया है। हम मानते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय की साधना और तपस्या ही है जो इनको राजनीतिक जीवन में भी पर्यावरण के प्रति प्रेम का भाव जागृत किये हुए है। सिर्फइंदौर में ही नहीं बल्कि देश के

सेंटर बनाकर पर्यावरण और अर्थव्यवस्था, दोनों को साथ लाया जा सकता है। कांचा गाचीबोवली की यह 400 एकड़ ज़मीन महज एक भूखंड नहीं, एक जीती-जागती विरासत है, एक जैविक संस्कृति है, और हैदराबाद की हरी पहचान है। विकास की

किसी हिस्से में ये पौधारोपण का अवसर प्राप्त होता है वह वहां भी पौधारोपण कर पर्यावरण संवर्द्धन का संदेश प्रसारित करते हैं। पर्यावरण के प्रति इनका यह स्नेह और संकल्प हमें प्रेरणा देता है कि सबको अपने जीवन में अधिक से अधिक पौधों का रोपण करना चाहिए। क्योंकि पर्यावरण है तो हम है। पर्यावरण नहीं तो हम नहीं।

मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अपने नवाचारों के लिये प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में विशेष स्थान रखता है। फिर बात चाहे स्वच्छता के क्षेत्र में अव्वल होने की हो या फिर पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिये गये कार्यों की। इंदौर शहर व वहां के लोग लगातार विशिष्ट कार्यों से अपनी पहचान को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। जब बात शहर की उपलब्धियों की होती है तो उसमें जितना योगदान वहां की स्थानीय जनता का है उतना ही महत्वपूर्ण योगदान वहां के जनप्रतिनिधि का होता है। यही कारण है कि इंदौर के जनप्रतिनिधि और लोकप्रिय नेता होने के कारण प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की जनता के साथ मिलकर निरंतर पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की दिशा में नित नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। महापौर से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक और राज्य कैबिनेट में शामिल होने के सफर पर आगे बढ़ते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कभी भी इंदौर की जनता का साथ नहीं छोड़ा। अब बात अगर पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की करें तो इंदौर को स्वच्छता में प्रथम शहर का तमगा दिलाने में भी कैलाश विजयवर्गीय की

अंधी दौड़ में अगर हम उन चीज़ों को ही रौंद देंगे जो हमें जीवन देती हैं, तो आखिर में न विकास बचेगा, न जीवन। याद रखें, जो समाज निरीह चीखों को अनसुनी कर देता है, वह एक दिन अपने ही भविष्य की चीत्कार नहीं सुन पाएगा। इस मामले को

भूमिका मुख्य रही है। उन्होंने वहां की जनता के साथ मिलकर स्वच्छता को एक जनांदोलन बनाया और जब यह आंदोलन पूरे देश में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर चुका उसके बाद वे रूके नहीं और निरंतर आगे बढ़ते हुए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की कमान संभाली। निरंतर कई वर्षों से कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन की दिशा में उठाया गया उनका यह कदम निश्चय ही प्रशंसनीय है।

कैसे पितृ पर्वत की परिकल्पना साकार हुई

पितृ पर्वत की मूल परिकल्पना सिर्फ एक बंजर पहाड़ी को हराभरा बनाकर पितरों की स्मृति को स्थायी बनाए रखने की थी लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया इस संकल्प ने नई-नई योजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करना आरंभ कर दिया। यहीं एक कार्यक्रम में जब पर्वत पर हनुमानजी की प्रतिमा लगाने का सुझाव आया तो दूसरे ही पल इस कल्पना को साकार करने वाले मुख्य सूत्रधार कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से ही मूर्तिकार से मूर्ति निर्माण के लिए चर्चा कर ली। यह पूछे जाने पर कि मूर्ति कितनी बड़ी होगी, विजयवर्गीय ने कहा -जितनी विशाल आप बना सकें। इसी के साथ अष्टधातु की 71 फ़ीट उंची 54 फीट चौड़ी और 108 टन वजन की विशालकाय प्रतिमा का निर्माण शुरूहो गया था। इस प्रतिमा की खासियत यह है कि यह सात चक्रों वाली है जो भक्तो के कल्याण के साथ इंदौर शहर के वास्तु को भी ठीक करेगी। भजन करते हुए बैठे हनुमानजी की यह देश की सबसे बड़ी प्रतिमा है।

आने वाले वर्षों में रेवती रेंज में वृक्षों की घनी वानिकी के रूप में विकसित हो जाएगी

लेकर जहां सियासत गरमाई हुई है, वहीं सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इसको लेकर लोग अलग-अलग पोस्ट कर रहे हैं और इसे सीधे तौर पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल जंगलों के कटान पर रोक लगा दी

कौन से हैं भारत के पांच सबसे बड़े जंगल

भारत में वनों की बात करें तो वनों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 7,08,273 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे प्राकृतिक रूप से हरा-भरा बनाता है और ये वन्यजीव का निवास स्थान हैं। भारत अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है और इसके साथ ही इस देश की विविधता जो गांवों, कस्बों और राज्यों को मिलाकर अन्य देशों से अलग बनती है। अगर भारत की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो बर्फ से ढके हिमालय की उंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के भूमध्यरेखीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश होने के नाते भारत पूरे एशिया के सभी देशों से अलग दिखता है, जिसकी खासियत पहाड़ और समुद्र इस देश को एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। आइये जानते हैं भारत बड़े 5 वनों के बारे में।

पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन का जंगल

पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन जंगल भारत का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल माना जाता है और यह जंगल गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित है। सुंदरवन जंगल का क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर है और यह रॉयल बंगाल टाइगर और खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। यह जंगल भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है और जंगल की भूमि दलदली है, जो इसे अद्वितीय बनाती है। सुंदरवन में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है और यहां गंगा और ब्रह्मपुत्र के अलावा पद्मा और मेघना जैसी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं।

है। कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना सरकार को जमीन पर पेड़ों की सुरक्षा के अलावा कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए। पीठ ने ये भी कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट इसकी खतरनाक तस्वीर दिखाती है, जिससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं।

कांचा गाजीबोवली जंगल 1974 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय आवंटित 2,300 एकड़ जमीन में से 400 एकड़ ज़मीन का हिस्सा था, लेकिन कानूनी तौर पर राज्य सरकार पूरी ज़मीन की मालिक है। पिछले कुछ सालों में तेलंगाना सरकार ने इस 2,300 एकड़ ज़मीन में से कई हिस्से बस डिपो, टेलीफोन एक्सचेंज, आईआईआईटी कैंपस, गचीबोवली स्पोर्ट्स स्टेडियम, शूटिंग रेंज आदि का निर्माण के लिए आवंटित किए हैं। विवादित 400 एकड़ जमीन को तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश सरकार ने 2003 में एक निजी खेल प्रबंधन फर्म को सौंप दिया था, लेकिन 2006 में गैर-उपयोग के कारण इसे वापस ले लिया गया। लेकिन 400 एकड़ जमीन का कभी सीमांकन नहीं किया गया और न

गुजरात में स्थित गिर का जंगल

वन राज्य रिपोर्ट (2018) के अनुसार, गुजरात का 11.18 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है और यह सुंदरवन के बाद भारत का दूसरा सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य है। यह राज्य अपने गिर शेरों के लिए प्रसिद्ध है और एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। यहां वनों का क्षेत्रफल 1,412 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 258 वर्ग किलोमीटर पूरी तरह से संरक्षित है।

मेघालय में स्थित खासी का जंगल

भारत के उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय का खासी वन देश का तीसरा सबसे बड़ा जंगल है। खासी वन, पहाड़ों में स्थित यह वर्षा वन भारत का तीसरा सबसे बड़ा जंगल है, मेघालय दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। मौसि राम सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, यहां इतनी अधिक वर्षा होती है कि इसकी औसत वार्षिक वर्षा 11,871 मिमी तक होती है. यह जंगल चेरापूंजी के भी करीब है, इसलिए मेघालय भारत के तीसरे सबसे बड़े जंगलों में से है और इस जंगल का क्षेत्रफल लगभग 2,741 वर्ग किलोमीटर है। मेघालय राज्य पहाड़ों में स्थित एक राज्य है, जो पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है और यह जंगल लगभग 1,978 मीटर की उंचाई पर स्थित है, इसलिए यहां के जंगल बहुत बड़े और फैले हुए हैं।

अरूणाचल प्रदेश में स्थित नामडाफा का जंगल

अरु णाचल प्रदेश भी भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। यह राज्य अपनी जनजातियों और प्रकृति के साथ-साथ अपनी भौगोलिक विविधताओं, समुद्री जलवायु परिस्थितियों और चट्टानों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नामडाफा वन अरूणाचल प्रदेश में स्थित है, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा जंगल है, और यहां का वन क्षेत्र 1,985 वर्ग किलोमीटर है. यह अपनी प्रजातियों की विविधता के लिए जाना जाता है, इसलिए यहां लाल पांडा और लाल लोमड़ी जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं।

उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जंगल

उत्तराखंड अपने धार्मिक और कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही भारत की प्रमुख नदियां भी इसी राज्य से निकलती हैं। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के पांचवे सबसे बड़े जंगल के लिए जाना जाता है। इस जंगल की स्थापना 1936 में की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 520 वर्ग किलोमीटर है और यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है।

मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा जंगल

मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जंगल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। यह मंडला और बालाघाट जिलों में फैला हुआ है और यह भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है। यह क्षेत्र अपनी घनी हरियाली, समृद्ध जैव विविधता और प्रसिद्ध बारहसिंगा के लिए जाना जाता है। कान्हा नेशनल पार्क 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पार्क 1 जून 1955 को स्थापित किया गया था। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला बाघ अभयारण्य है जिसके पास आधिकारिक रूप से अपना शुभंकर, भूरसिंह द बारासिंघा है।

ही इसे जंगल के रूप में अधिसूचित किया गया। भौगोलिक विश्लेषण के अनुसार, 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच लगभग 02 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जंगल और वनस्पतियों को नष्ट कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 50 से अधिक अर्थ मूविंग मशीनों को रंगारेड्डी जिले के कांचा गचीबोवली में सफाई अभियान के लिए तैनात किया गया था।

विरोध के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

इस परियोजना के खिलाफ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र, संकाय सदस्य और पर्यावरणविद् लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद तेलंगाना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 400 एकड़ भूमि पर चल रहे कटाई अभियान पर रोक लगा दी। इस मुद्दे पर तेलंगाना में राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने इस भूमि को वापस लेने और इसे ईको पार्क में बदलने की घोषणा की है। वहीं तेलंगाना सरकार के अनुसार, इस परियोजना से 50,000 करोड़ का निवेश आने की संभावना है और इसके पूरी तरह से विकसित होने पर 05 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

केन्द्र और राज्य सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ होने जा रहा नक्सलवाद मुक्त प्रदेश

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर मुख्यधारा में लौट रहे नक्सलवादी

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार नक्सलवाद को लेकर काफी गंभीर है। सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के मिशन पर काम कर रही है। केन्द्रीय बलों और मिशन पर काम कर रही है। केन्द्रीय बलों और स्थानीय पुलिस राज्य के नक्सलवाद प्रभावित जिलों में काफी सक्रिय है। जिसका ही परिणाम है कि प्रत्येक दिन नक्सलवादी या तो आत्म समर्पण कर रहे हैं या मुढभेड़ में मारे जा रहे हैं। 2025 में ही ऐसे कई अवसर देखने को मिले है कि नक्सलियों ने घुटने टेके हैं। जबकि 2024 में तो रिकार्ड तोड़ नक्सलियों का सफाया किया गया है। छत्तीसढ़ गठन के बाद से यह पहला अवसर है जब प्रदेश से नक्सलवाद खात्मे की ओर अग्रसर है। पिछले 25 सालों में राज्य में नक्सलवाद को लेकर काफी दंश झेले है। सरकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद वह समस्या हल नहीं हुई, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश से हमेशा के लिए नक्सलवाद की समस्या हल हो जायेगी। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि नक्सलवादी खुद समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। वहीं देखा जाये तो सरकार भी नक्सवादियों के हितों के लिए काम कर रही है। तरह-तरह की योजनायें बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रही है।

छत्तीसगढ़ धीरे-धीरे नक्सलवाद से मुक्त होने की कगार पर है। केन्द्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश में नक्सलवाद की समस्या खत्म हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर हजारों नक्सलवादी विकास की मुख्यधारा में लौट रहे हैं और आत्म समर्पण कर समाज से जुड़ रहे हैं। पिछले एक साल में ही सैकड़ों नक्सलियों का खात्मा हो चुका है तो हजारों ने आत्म समर्पण किया है। इसके साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक प्रदेश को नक्सलमुक्त करने का जो वादा किया है वह भी पूरा होने की उम्मीद होने लगी है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में 01 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2025 तक 13 महीनों में अब तक सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में 240 नक्सली मारे

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में 01 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2025 तक 13 महीनों में अब तक सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में 240 नक्सली मारे गए हैं।

गए हैं। इनमें 25 लाख से एक करोड़ तक के इनामी नक्सली और उनके शीर्ष कैडर्स शामिल हैं जबकि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में मारे गए नक्सलियों की संख्या इनके अतिरिक्त है। बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले आबूझमाड़ में सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिले हैं जहां पर सुरक्षाबलों बड़े अभियान चलाए हैं। पिछले 13 महीनों में छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों की नक्सलियों की दस बड़ी मुठभेड़ हुईं। इनमें अब तक सीसीएम, एससीएम, डीकेएसजेडसी कैडर के नक्सली मारे जा चुके हैं। इन पर 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का इनाम घोषित था। हाल ही में मारे

मोदी-शाह की दो टूक

आत्मसमर्पण करो या खत्म कर दिए जाओगे

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अक्सर अपनी सभाओं में कहते हैं कि आने वाले 02 साल में नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। मोदी जी के तीसरे टर्म में नक्सलवाद से पूर्ण मुक्त होगा छत्तीसगढ़, ये मोदी की गारंटी है। अमित शाह ने कहा था, कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण नक्सलवाद का पालन पोषण किया। 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, 10 वर्ष के अंदर पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हुआ लेकिन छत्तीसगढ़ में बच गया क्योंकि यहां भूपेश की पंजा छाप सरकार थी। जब आपने विष्णुदेव साय को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर कहा था कि छत्तीसगढ़ में नक्सली अब सिर्फ3 जिलों तक ही सीमित रह गए हैं। वहीं अंबिकापुर में पीएम नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है। मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूँ माओवाद और नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा।

गये कुख्यात नक्सली नेता एक करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फचलपती सहित रामचन्द्र उर्फ कार्तिक उर्फ दसरू उर्फ जीवन पद (एस.सी.एम.) ओडिशा स्टेट कमेटी सदस्य, सचिव पश्चिम ब्यूरो मारा गया है। बीजापुर जिले के जंगल में तेलंगाना सीमा पर 16 जनवरी को हुई मुठभेड़ में 50 लाख रुपये के इनामी नक्सली दामोदर को भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। इसी तरह रणधीर, नीति उर्फ निर्मला, जोगन्ना, दसरू, रूपेश, शंकर राव जैसे डीकेएसजेडसी (दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी), टीएससी कैडर के नक्सली मारे गए हैं। ये सभी 25-25 लाख रूपये के इनामी नक्सली थे। 04 अक्टूबर 2024 को थुलथुली में हुई सबसे बड़ी मुठभेड़ में एक साथ 38 नक्सली मारे गये थे।

13 महीने में ये हुई 10 बड़ी मुठभेड़-

छत्तीसगढ़ में विकास और सुरक्षा दोनों ही मोर्चों पर प्रगति संतोषजनकः अमित शाह

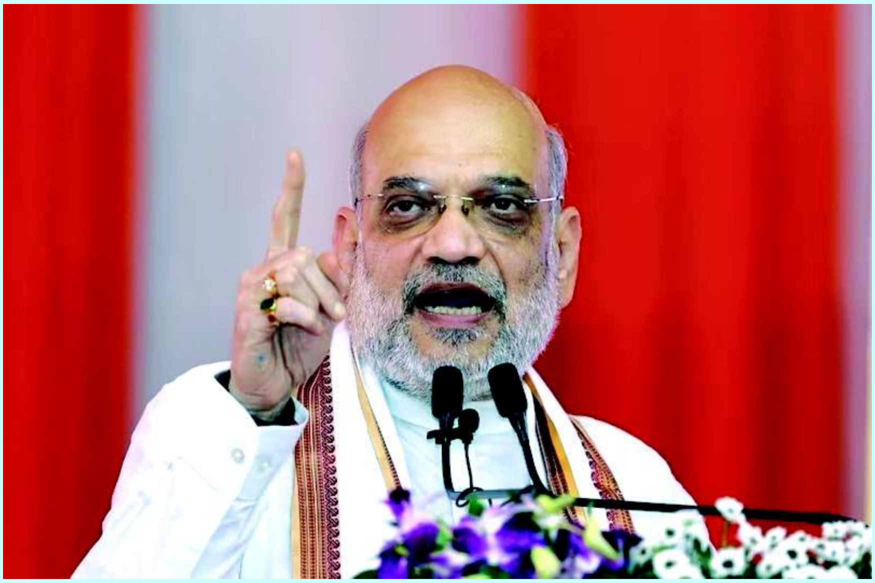

नक्सलवाद के कारण कई पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई हैं। नक्सलवाद फिर से जड़ न जमा पाए इसलिए इसका समूल नाश आवश्यक है। नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई को स्केटर्ड नहीं होने देना है। एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग रहे नक्सलियों को पकड़ने के लिए राज्य पुलिस और केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियाँ में समन्वय और बेहतर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में विकास और सुरक्षा दोनों ही मोर्चों पर प्रगति संतोषजनक हुई है। यह बात केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही में छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान ने कही। छत्तीसगढ़ प्रशासन से नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकारी योजनाएं जन-जन तक पहुंचाने के लिए बनाई गई नियद नेल्लानार को सुरक्षा बलों के शिविरों के 05 किलोमीटर के दायरे से बढ़ाकर 10 किलोमीटर करने को कहा। शाह ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की जनता को विकास के समान अवसर मिले। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान का मोमेंटम किसी भी सूरत में कम नहीं होना चाहिए। बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के समूल नाश में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले ही छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सलवाद एक इतिहास बन जाएगा।

वर्ष 20-21 जनवरी 2025, गरियाबंद में 16 नक्सली मारे गये। 16 जनवरी 2025, बीजापुर जिले पुजारी कांकेर मुठभेड़, 18 नक्सली ढेर। 22 नवंबर 2024, सुकमा जिले में 10 नक्सली ढेर। -04 अक्टूबर 2024, थुलथुली मुठभेड़, 38 नक्सली ढेर। 3 सितंबर 2024, दंतेवाड़ा में 9 नक्सली ढेर। 15 जून 2024, अबूझमाड़ में 8 नक्सली ढेर। 23 मई 2024, अबूझमाड़ के रेकावाया में 8 नक्सली ढेर। 10 मई 2024, बीजापुर के पामेड़ इलाके में 12 नक्सली ढेर। 29 अप्रैल 2024, नारायणपुर में 10 नक्सली ढेर। 16 अप्रैल 2024, कांकेर में 29 नक्सली ढेर। -02 अप्रैल 2024, बीजापुर के कोरचोली में 13 नक्सली मारे

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा: सीएम विष्णु देव साय

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य में यदि नक्सली गोली-बारूद की भाषा ही समझेंगे तो सरकार उसी भाषा में जवाब देगी। हालांकि जो बातचीत का रास्ता चुनेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते हुए केंद्रीय गृहमंत्री के बयान को अमलीजामा पहनाने का काम शुरू भी कर दिया गया जिसका परिणाम आज सबके सामने है। नक्सलियों के सरेंडर पर सीएम साय ने कहा कि हमारी नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति - 2025 का परिणाम है कि बीजापुर जिले में कुल 50 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जाना ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर अब बदल रहा है, और यह बदलाव स्थायी होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि बस्तर के लोग अब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन इस जनभावना के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के जवानों की मजबूत कार्रवाई के कारण निरंतर सफलता मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले 15 महीनों से राज्य में डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों से जुड़ी योजनाएँ, और 70 लाख माताओं और बहनों को हर महीने 1000 रूपए देने वाली महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से मोदी की गारंटी को पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम जनमन योजना के माध्यम से अबुझमाड़िया, कोरवा, बिरहोर, पंडो जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों तक सड़क, बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं पहुँचाई जा रही हैं।

गये हैं। इन दस मुठभेड़ में छोटे-बड़े कैडर के 171 नक्सली मारे गए। इस तरह इन 13 महीनों में कुल 240 नक्सली मारे जा चुके हैं। इसमें कई बड़े कैडर्स के नक्सली भी शामिल हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का दावा है कि पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। शाह के नक्सलवाद के खात्मे के लिए तय किए गये लक्ष्य को प्राप्त करने में केंद्र की सरकार एवं राज्य के सरकारों के बीच योजनाबद्ध तरीके से सटीक रणनीति का

क्रियान्वयन शुरू है। सुरक्षाबलों के संयुक्त अभियान में उनके गढ़ में ही घेरने की नई बदली हुई रणनीति में जिलों के साथ ही अब 02 राज्यों की सीमा पर भी अपनाई जा रही है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि पुलिस को अगर सूचना मिलती है कि दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा सीमा पर किसी इलाके में नक्सलियों का जमावड़ा है तो तीनों जिलों की फोर्स को अभियान पर रवाना किया जाता है। बीजापुर की टीम के साथ मुठभेड़ होती है और नक्सली दंतेवाड़ा की तरफ भागते हैं तो यहां दंतेवाड़ा की फोर्स घेरकर मार रही है। ऐसे ही सुकमा की तरफ भागते हैं तो सुकमा में मोर्चा संभालकर बैठे जवान उनको मुठभेड़ में ढेर कर रहे हैं। यह रणनीति छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा की सीमा पर भी अपनाई जा रही है। सुरक्षाबलों के संयुक्त अभियान से नक्सलियों को बार-बार एक जगह से दूसरे ठिकाने के लिए भागना पड़ रहा है, इससे सुरक्षाबलों को नक्सलियों के ठिकाने आसानी से मिल रहे हैं।

दंतेवाड़ा जिले से नक्सलियों का लगभग सफाया हो गया है। यहां दरभा डिवीजन, कटे कल्याण एरिया कमेटी, मलांगेर और इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सली सक्रिय थे।

उल्लेखनीय है कि दंतेवाड़ा जिले से नक्सलियों का लगभग सफाया हो गया है। यहां दरभा डिवीजन, कटे कल्याण एरिया कमेटी, मलांगेर और इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सली सक्रिय थे। यहां डीवीसीएम (डिवीजनल कमेटी मेंबर), एसीएम (एरिया कमेटी मेंबर) जैसे बड़े कैडर्स के कई नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, तो कइयों ने आत्मसमर्पण कर दिया। वर्तमान में यहां नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम और मिलिशिया कैडर के नक्सलियों की सक्रियता थोड़ी बहुत दिखती रहती है। वहीं बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर में आज भी जवानों के लिए नक्सली चुनौती बने हुए हैं। इन इलाकों में नए कैंप भी स्थापित किए गए हैं। इन जिलों से ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना की सीमा लगती है।

अबूझमाड़ और पामेड़ का इलाका

नक्सलियों के सबसे सुरक्षित पनाहगाह के रूप में जाना जाता था। लेकिन, वर्ष 2024 में जवानों ने इन इलाकों में भी दस्तक दी और नक्सलियों को मार गिराया। अब भी पोलित ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी के नक्सलियों की यहां मौजूदगी है। वहीं बस्तर और कोंडागांव जिले में नक्सली गतिविधियां एवं नक्सल घटनाएं न के बराबर हो गई हैं। जबकि कांकेर में नक्सलियों की गतिविधिया देखने को मिलती है। कुछ महीने पहले कांकेर के छोटे बेठिया इलाके में नक्सलियों के गढ़ में घुसकर जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था। बस्तर में लगातार हो रहे मुठभेड़ों के कारण बड़े नक्सली लीडर्स छिपने के लिए अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। ऐसी जानकारी है कि पामेड़ एरिया में सक्रिय नक्सली अबूझमाड़ में छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा की ओर चले गए हैं, जबकि अबूझमाड़ के कुछ बड़े नक्सली लीडर्स गरियाबंद और ओडिशा में अपना नया ठिकाना बना रहे हैं।

टीसीओसी में अब नक्सलियों को ही घेरा जा रहा है

माओवादियों के कैलेंडर में अलग-अलग समय पर अलग-अलग अभियान चलाए जाते हैं। जिसमें शहीदी सप्ताह, पीएलजीए स्थापना दिवस, महिला दिवस और टीसीओसी जैसे कार्यक्रम व अभियान होते हैं। इसमें टीसीओसी मतलब टैक्टिकल काउंटर आर्फेसिव कैंपेन जिसमें माओवादी जंगलों जवानों पर बड़ा हमला करने के लिए जाने जाते हैं। बस्तर में अधिकतर बड़ी घटनाएं टीसीओसी के अंतर्गत की गई हैं, जिसमें ताड़मेटला, बुर्कापाल, मीनपा, झीरम, टेकलगुडम जैसी

बस्तर में लगातार हो रहे मुठभेड़ों के कारण बड़े नक्सली लीडर्स छिपने के लिए अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। ऐसी जानकारी है कि पामेड़ एरिया में सक्रिय नक्सली अबूझमाड़ में छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा की ओर चले गए हैं, जबकि अबूझमाड़ के कुछ बड़े नक्सली लीडर्स गरियाबंद और ओडिशा में अपना नया ठिकाना बना रहे हैं।

घटनाएं हैं। इन घटनाओं में बड़ी संख्या में माओवादियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाया है। पर बीते कुछ समय से देखा जाए तो जवानों ने उनके टीसीओसी अभियान के दौरान स्वयं को सुरक्षित रखते हुए माओवादियों को ही बड़ा नुकसान पहुंचाया।

सभी जवानों के परिश्रम से मिल रही सफलता

सफलता में तैनात सभी सुरक्षाबल जिसमें डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा, आईटीबीपी और बीएसएफ शामिल हैं। सभी के परिश्रम से यह सफलता मिल रही है। सभी सुरक्षाबल लगातार अंदरूनी इलाकों में कैम्प स्थापित करने के साथ साथ ग्रामीणों में सुरक्षा और विकास के प्रति भरोसा स्थापित कर रहे। इसी वजह से अब माओवादियों से संबंधित और भी ज्यादा सटीक जानकारी मिल रही और जवान माओवादियों को उनके ही गढ़ में घुसकर उन्हें निशाना बना रहे हैं। बस्तर से काफी हद तक नक्सली बैकफुट पर हैं। नक्सलियों के कोर इलाके तक पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। तेलंगाना, ओडिशा के बड़े कैडर्स भी मुठभेड़ में मारे गए हैं, जो सुरक्षाबलों के लिए बड़ी सफलता है। साथ ही नक्सलियों के अंदरूनी आधार वाले इलाकों में सुरक्षाबलों के नए-नए कैंप भी स्थापित किए गए हैं, जिससे नक्सली बैकफुट पर हैं। बस्तर में पिछले 13 महीनों में फोर्स ने लगभग 240 से अधिक नक्सली मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, इसमें कई बड़े कैडर्स के नक्सली भी शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षाबल के जवान लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बीजापुर में 50 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है। यह इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई है।

बस्तर में लगातार हो रहे एक्शन

वर्ष 2024 में कुल 787 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से अधिकतर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और इसकी विशेष कमांडो इकाई कोबरा द्वारा किए गए प्रयासों के कारण हुए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षाबल के जवान लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बीजापुर में 50 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है। यह इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई है।

सिंधु जल संधि पर रोक....

पाकिस्तान से पानी का रिश्ता हुआ समाप्त

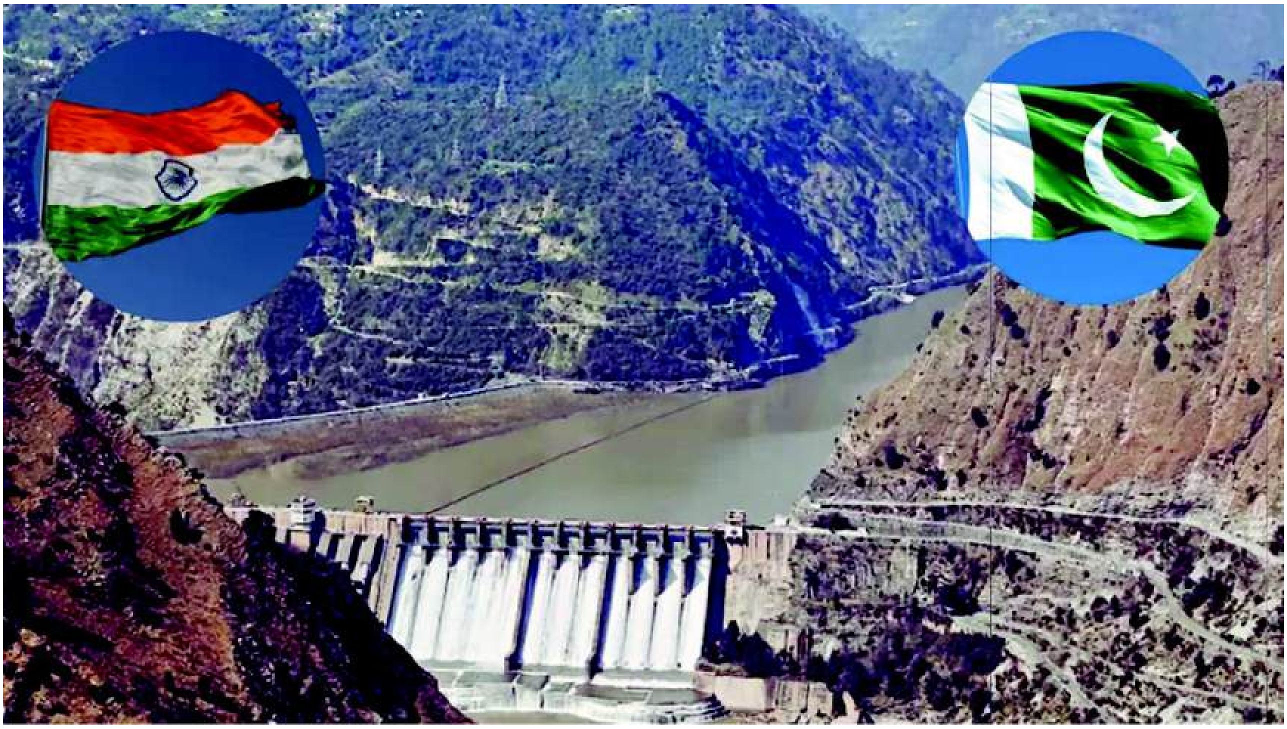

प्रमोद भार्गव

कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने कड़ा रूख अपनाते हुए पांच बड़े कूटनीतिक प्रहार कर दिए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सिंधु जल समझौते को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना यह एक ऐसी कूटनीतिक चाल है, जिससे पाकिस्तान को भीषण जलसंकट का सामना तो करना पड़ेगा ही आर्थिक समृद्धि में भी यह फैसला मठा घोलने का काम करेगा। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करते हुए उन्हें 48 घंटे में पाक लौट जाने का आदेश दिया है। अटारी-वाघा सीमा-द्वार बंद कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान से अपने सैन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है। नई दिल्ली स्थित

सिंधु जल समझौते को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना यह एक ऐसी कूटनीतिक चाल है, जिससे पाकिस्तान को भीषण जलसंकट का सामना तो करना पड़ेगा ही आर्थिक समृद्धि में भी यह फैसला मठा घोलने का काम करेगा।

पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है। इन्हें एक सप्ताह में भारत छोड़ना होगा। ये सभी निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा समिति (सीसीएस) की बैठक में लिए गए हैं। आतंकवादियों की शरणस्थली बने पाकिस्तान को ये कूटनीतिक सबक समय की जरूरत है।

अमानुषिक दगाबाजी के आदि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने 16 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के सम्मेलन में

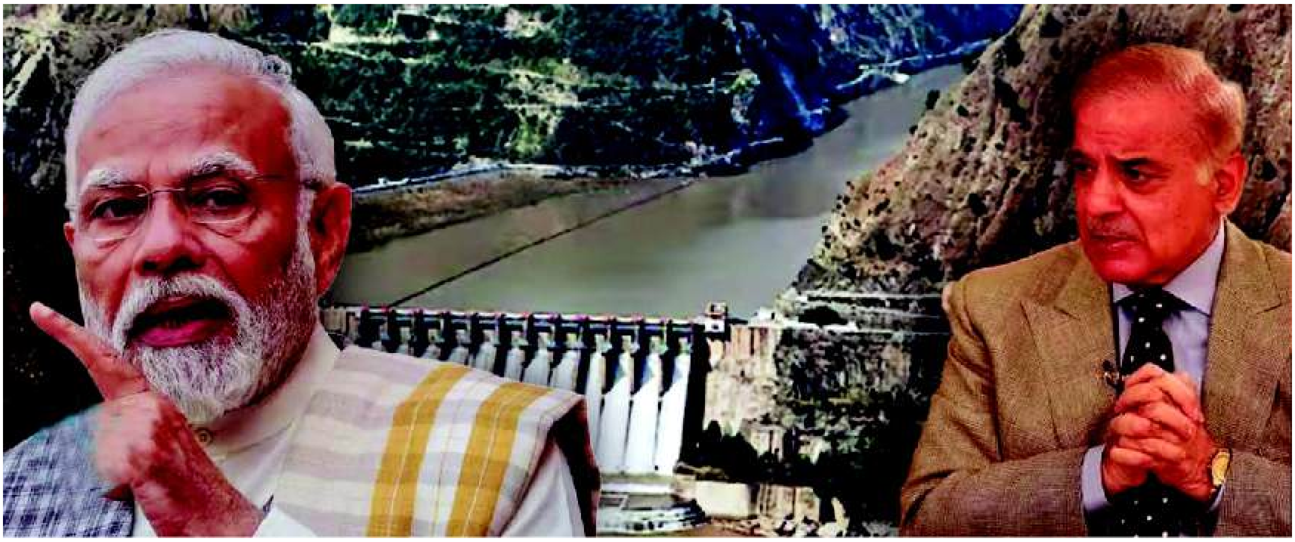

कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। पाकिस्तान ने आतंकी साजिश रचकर कश्मीर के अवाम की इसी आर्थिक श्वास की नली को अवरूद्ध कर दिया है। अब भारत ने पलटवार करते हुए सिंघु की जलधार को अवरूद्ध करके ईंट का जबाव पत्थर से देने का काम किया है। यदि यह जवाब बहुत पहले दे दिया गया होता तो शायद पाक से निर्यात आतंक के ये हालात पनप ही नहीं पाते? 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि में भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों का पानी बांटने का समझौता हुआ था। इस समझौते पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूऔर पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इसके अंतर्गत पाकिस्तान से पूर्वी क्षेत्र की तीन नदियों व्यास, रावी व सतलुज की जल राशि पर नियंत्रण भारत के सुपुर्द किया गया था और पश्चिम की नदियों सिंधु, चिनाब व झेलम पर नियंत्रण की जिम्मेदारी पाक को सौंपी गई थी। इसके तहत भारत के उपरी हिस्से में बहने वाली इन छह नदियों का 80.52 यानी 167.2 अरब घनमीटर पानी पाकिस्तान को हर साल दिया जाता है। जबकि भारत के हिस्से में महज 19.48 प्रतिशत पानी ही शेष रह जाता है। नदियों की उपरी धारा (भारत में बहने वाला पानी) के जल-बंटवारे में उदारता की ऐसी अनूठी मिसाल दुनिया के किसी भी अन्य जल-समझौते में देखने में नहीं आई है। इसीलिए अमेरिकी सीनेट की विदेशी मामलों से संबंधित समिति ने 2011 में दावा किया था कि यह संधि दुनिया की सफलतम संधियों में से एक है। लेकिन यह संधि केवल इसलिए सफल है, क्योंकि भारत संधियों की शर्तों को निभाने के प्रति अब तक उदार एवं प्रतिबद्ध बना हुआ है। जबकि जम्मू-कश्मीर को हर साल इस संधि के पालन में करीब 60 हजार करोड़ रु पए का नुकसान उठाना पड़ता है। भारत की भूमि पर इन नदियों का अकूत जल भंडार होने के बावजूद इस संधि के चलते इस राज्य को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान की 2.6 करोड़ एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई इन्हीं नदियों के जल से होती है। पाक के बड़े भू-भाग की 21 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या की जल की जरूरतें इन्हीं नदियों पर निर्भर हैं। यह संधि लंबे समय तक स्थगित रहती है तो पाकिस्तान में अकाल और सूखे के हालात बन सकते हैं।

19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि में भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों का पानी बांटने का समझौता हुआ था। इस समझौते पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इसके अंतर्गत पाकिस्तान से पूर्वी क्षेत्र की तीन नदियों व्यास, रावी व सतलुज की जल राशि पर नियंत्रण भारत के सुपुर्द किया गया था

दरअसल सिंधु-संधि के तहत उत्तर से दक्षिण को बांटने वाली एक रेखा सुनिश्चित की गई है। इसके तहत सिंधु क्षेत्र में आने वाली तीन नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम पूरी तरह पाकिस्तान को उपहार में दे दी गई हैं। इसके उलट भारतीय संप्रभुता क्षेत्र में आने वाली व्यास, रावी व सतलुज नदियों के बचे हुए हिस्से में ही जल सीमित रह गया है। इस लिहाज से यह संधि दुनिया की ऐसी

इकलौती अंतरदेशीय जल संधि है, जिसमें सीमित संप्रभुता का सिद्धांत लागू होता है और संधि की असमान शर्तों के चलते उपरी जलधारा वाला देश नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा वाले देश पाकिस्तान के लिए अपने हितों की न केवल अनदेखी करता है, वरन बालिदान कर देता है। इतनी बेजोड़ और पाक हितकारी संधि होने के बावजूद पाक ने भारत की उदार शालीनता का उत्तर पूरे जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में आतंकी हमलों के रूप में तो दिया ही, अब इनका विस्तार भारतीय सेना व पुलिस के सुरक्षित ठिकानों तक भी किया हुआ है। अब पर्यटकों की हिंदू धार्मिक पहचान करके जो नरसंहार पहलगाम की बैसरन घाटी में किया है, वह यह जताने के लिए काफी है कि हमला धर्म के आधार पर किया गया है। ये सभी हमले आतंकवाद को बहाना बनाकर छद्म युद्ध के जरिए किए गए, जबकि ये सभी हमले पाक सेना की करतूत हैं। दरअसल छद्म युद्ध में लागत तो कम आती ही है, हमलाबर देश पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर इस बहाने रक्षात्मक भी हो जाता है कि इन हमलों में उसका नहीं, आतंकवादियों का हाथ है। बावजूद हैरानी इस बात पर है कि इस संधि को तोड़ने की हिम्मत न तो 1965 में भारत-पाक युद्ध के बाद दिखाई गई और न ही 1971 में? हालांकि 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में विभाजित कर नए राष्ट्र बांग्लादेष को अस्तित्व में लाने की बड़ी कूट व रणनीतिक सफलता हासिल की थी। कारगिल युद्ध के समय भी हम इस संधि को तोड़ने से चुके हैं। देर से ही सही इस संधि को तोड़ने की पहल देशहित में है।

पाकिस्तान की प्रकृति में ही अहसान फरोसी शुमार है। इसीलिए भारत ने जब झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर बनने वाली किशन गंगा जल विद्युत परियोजना की बुनियाद रखी तो पाकिस्तान ने बुनियाद रखते ही नीदरलैंड में स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में 2010 में ही आपत्ति दर्ज करा दी थी। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में किशनगंगा नदी पर 300 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है।

दरअसल पाकिस्तान की प्रकृति में ही अहसान फरोसी शुमार है। इसीलिए भारत ने जब झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर बनने वाली किशन गंगा जल विद्युत परियोजना की बुनियाद रखी तो पाकिस्तान ने बुनियाद रखते ही नीदरलैंड में स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में 2010 में ही आपत्ति दर्ज करा दी थी। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में किशनगंगा नदी पर 300 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। हालांकि 20 दिसंबर 2013 को इसका फैसला भी हो गया। दुर्भाग्य कहलें या भारत द्वारा ठीक से अपने पक्ष की

पैरवी नहीं करने के कारण यह निर्णय भारत के व्यापक हित साधे रखने में असफल रहा है। न्यायालय ने भारत को परियोजना निर्माण की अनुमति तो दे दी, लेकिन भारत को बाध्य किया गया कि वह रन ऑफ दि रिवर प्रणाली के तहत नदियों का प्रवाह निरंतर जारी रखे। फैसले के मुताबिक किशनगंगा नदी में पूरे साल हर समय 9 क्यूसेक मीटर प्रति सेकंड का न्यूनतम जल प्रवाह जारी रहेगा। हालांकि पाकिस्तान ने अपील में 100 क्यूसेक मीटर प्रति सेकंड पानी के प्राकृतिक प्रवाह की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने नहीं माना। पाकिस्तान ने सिंधु जल-समझौते का उल्लंघन मानते हुए भारत के खिलाफ यह अपील दायर की थी। इसके पहले पाकिस्तान ने बगलिहार जल विद्युत परियोजना पर भी आपत्ति दर्ज कराई थी। जिसे विश्व बैंक ने निरस्त कर दिया था।

दरअसल द्विपक्षीय वार्ता के बाद शिमला समझौते में स्पष्ट उल्लेख है कि पाकिस्तान अपनी जमीन से भारत के

शिमला समझौते में स्पष्ट उल्लेख है कि पाकिस्तान अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवाद को फैलाने की इजाजत नहीं देगा। किंतु पाकिस्तान इस समझौते के लागू होने के बाद से ही, इसका खुला उल्लंघन कर रहा है।

खिलाफ आतंकवाद को फैलाने की इजाजत नहीं देगा। किंतु पाकिस्तान इस समझौते के लागू होने के बाद से ही, इसका खुला उल्लंघन कर रहा है। लिहाजा पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के नजरिए से भारत को सिंधु जल-संधि को ठुकरा कर पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। पुलवामा हमले के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदियों का पानी रोकने की बात कही थी। भारत ने अब इस मांग को अंजाम तक पहुंचा दिया है। तय है, इस कूटनीतिक पहल से पाक की कमर टूट जाएगी। नदियों के प्रवाह को बाधित करना इसलिए भी अनुचित नहीं है, क्योंकि यह संधि भारत के अपने राज्य जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के लिए न केवल औद्योगिक व कृषि उत्पादन हेतु पानी के दोहन में बाधा बन रही है, बल्कि पेयजल के लिए नए संसाधन निर्माण में भी बाधा है। इस संधि के चलते यहां की जनता को पानी के उपयोग के मौलिक अधिकार से वंचित होना पड़ रहा था। हैरानी की बात यह भी है कि यहां सत्तारूढ़ रहने वाली सरकारों और अलगाववादी जमातों ने इस बुनियादी मुद्दे को उछालकर पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश कभी नहीं की? इसलिए आतंक का माकूल जवाब देने के लिए भारत सरकार की इस कूटनीतिक पहल का स्वागत होना चाहिए।

आ गया आतंक के आकाओं की कमर तोड़ने का वक्त

इंदिरा गांधी ने दिखाई ताकत तो पाकिस्तान के हुए दो टुकड़े
कुछ ऐसी ही ताकत मोदी दिखाएं

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। आतंकियों ने जिस तरह अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने गए लोगों को निशाना बनाया, गोलियों से भून डाला, उससे पूरे देश में उबाल है। लोग आतंकियों के खिलाफ पहले से भी बड़े और निर्णायक एक्शन की मांग कर रहे हैं। इस बीच पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम में भारत की आत्मा पर हमले का दुस्साहस किया गया है। आतंकियों की बची-खुची जमीन अब मिट्टी में मिला देंगे। मोदी सरकार को ऐसा एक्शन लेना होगा जिसका नतीजा दूर तक दिखाई दे। इंदिरा गांधी की तरह एक्शन लेना पड़ेगा। जिनके एक्शन लेने पर बांग्लादेश को बनाकर पाकिस्तान को दो हिस्सों में तब्दील कर दिया गया था। पता चले उनको भी आतंकवाद पर करारी चोट कैसे होती है। आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। लीपापोती से काम नहीं चलेगा अब तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। 1967 में जब चीन ने हमारे देश पर हमला किया तो इंदिरा ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान ने देश पर हमला किया तो इंदिरा ने मुंहतोड़ जवाब देकर पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा को दुर्गा कहा था। हालांकि इस हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन मूड में है। और कई फैसले लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की है। कई उच्च स्तरीय बैठकें कर सरकार दर्शा दिया है कि वह इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देगी। सिंधु जल समझौता तोड़ना और भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को बाहर भेजने जैसे फैसले लेकर जता दिया है कि इस बार भारत चुप बैठने वाला नहीं है। यहां बात केवल छोटे फैसले से लेने पर नहीं है। देश में काफी गुस्सा है और भारत से बड़े प्रहार की आस लगाये बैठा है। जिसका ही नतीजा है कि भारत ने भी बड़ी योजना बनाकर आतंकियों और आतंक को सहारा देने वालों के खिलाफ प्रहार करने का खाका तैयार किया है। देखना यह होगा कि इस खाके पर भारत कब और कैसे एक्शन लेता है।

विजया पाठक

पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन मूड में नजर आ रही है। पाकस्तिान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाकर आगे की रणनीति पर काम कर रही है। इस हमले के बाद पूरे देश में काफी गुस्सा है। और सरकार पर दवाब बनाया जा रहा है कि वह कोई बड़ा कदम उठाये और इसका मुंहतोड़ जवाब दे। शायद यही कारण है कि हमले के दिन से ही सरकार ने कड़ा रूख अख्तियार किया है। देश में तो इस हमले की निंदा हो रही है वहीं विश्व के अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को यह भरोसा दिलाया है कि वे इस हमले से उपजी परिस्थितियों में भारत सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम में उसके साथ हैं। जिस तरह उच्च स्तरीय बैठकों का लंबा दौर चलने के बाद कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनसे पाकिस्तान घबरा उठा है परन्तु अभी भी वहां के हुक्मरान बड़ी बेशर्मी के साथ ये बयान दे रहे हैं कि पहलगाम के आतंकी हमले में उनके देश का कोई हाथ नहीं है जबकि प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार पहलगाम के आतंकवादियों को पाकिस्तान से निर्देश दिए जा रहे थे। आतंकवाद की इस वीभत्स वारदात के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति का भले ही अभी खुलासा नहीं हुआ है लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह बयान कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है और उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सरकार के मजबूत इरादों की अभिव्यक्ति कर रहा है। पाकिस्तान को कठोरतम सबक सिखाने की मंशा से केंद्र सरकार जो भी कारवाई करेगी उसमें सारा देश उसके साथ

आतंक का दंश झेलने वाली इस तस्वीर सारे देश को एक बार फिर झंकझोर दिया है। पहलगाम में हुये आतंकी हमले से 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। इसके बाद लोगो में ऐसा रोष देखा गया कि सरकार को एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि चौतरफा दवाब के कारण मोदी सरकार एक्शन के मूड में दिख रही है। अब समय आ गया है कि आतंक के इस नापाक दुस्साहस का ऐसा जवाब देना चाहिए जिससे कि आतंकवादी दोबारा ऐसी जुर्रत करने से पहले सौ बार सोंचे।

है। निकट भविष्य में ही पाकिस्तान के विरूद्ध किसी बहुत बड़ी कार्रवाई की सारा देश व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा है। यह भी पहली बार हुआ कि आतंकियों ने पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। इसका मतलब साफ है कि जम्मू-कश्मीर में पर्यटन उद्योग को तहस नहस करने के इरादे से यह हमला किया गया इसीलिए आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की ऐसी निर्ममता के साथ हत्या कर दी।

पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। दोनों देशों में काफी हलचल है। युद्धाभ्यास हो रहे हैं। सीमाओं पर तनाव देखा जा रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर इसी समय पहलगाम हमले को अंजाम क्यों दिया गया, जिसे पुलवामा के बाद दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है? इसके कई कारण हैं। एक तो मुंबई हमले के षड्यंत्रकारी तहव्वुर राणा को भारत लाये जाने के बाद से पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हुई हैं कि पता नहीं, वह इस्लामाबाद के कौन-से रहस्य पर से पर्दा उठा दे। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर किया गया आतंकवादी हमला भीषण तो है ही, साथ ही साथ कायराना भी है। जब कश्मीर घाटी आतंकवाद से त्रस्त थी और आये दिन आतंकी हमले होते थे, तब भी पर्यटकों को निशाना बनाने से यथासंभव बचा जाता था, क्योंकि पर्यटक जम्मू-कश्मीर की जीवनरेखा हैं। पर्यटकों से ही वहां के स्थानीय लोगों का गुजारा चलता है। यह पहले से ही पता है कि आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान में टीआरएफ जैसे छोटे-छोटे कई आतंकवादी संगठन बने हुए हैं। ये संगठन जम्मू-कश्मीर में लोन वुल्फ अटैक जैसे छोटे हमले भी करते रहे हैं, ताकि आतंकवाद को जीवित रखा जा सके। ऐसे

पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई उच्च स्तरीय बैठके की। मंशा एक ही थी कि कैसे इस हमले का करारा जवाब दिया जाये। मोदी इस हमले का करारा जवाब देने की बात कह चुके हैं। अब मोदी सरकार जल्द की एक्शन लेगी।

ही एक गुट ने इस हमले को अंजाम दिया। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाने का ठीक वह समय चुना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सउदी अरब की दो दिवसीय यात्रा पर निकले हुए थे। प्रधानमंत्री का यह दौरा व्यापार, पर्यटन, उर्जा और सैन्य संबंधों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। वास्तविकता यह है कि भारत और सउदी अरब ने पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक सहयोग, रक्षा सहयोग, उर्जा साझेदारी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से आपसी संबंधों को मजबूत किया है। और यह भी देखने लायक है कि सउदी अरब से भारत की यह दोस्ती पाकिस्तान की कीमत पर परवान चढ़ी है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने पर पाकिस्तान ने तब अपने परम मित्र सउदी अरब को अपने साथ लेना चाहा था। लेकिन सउदी अरब ने न केवल तटस्थ रास्ता चुना, बल्कि तब से पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते भी पहले वाले नहीं रह गये। इस्लामाबाद को इस बात की नाराजगी है कि उसका दोस्त सउदी अरब अब भारत के साथ है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की सउदी अरब यात्रा के दौरान पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। इस हमले का एक और महत्वपूर्ण कारण अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का इस समय भारत में होना है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार से दुनिया भर में खलबली मची है और ट्रंप के मुख्य निशाने पर पाकिस्तान का दोस्त चीन है। लेकिन पाकिस्तान यह भी देख रहा है कि उसी अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के चार दिनों के दौरे पर आये हैं, उनकी प्रधानमंत्री मोदी से कई मुद्दों पर सफल बातचीत हुई है, वह भारतीय प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। इस बीच मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता लाने के लिए लगातार प्रयास किये हैं। घाटी में पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। विभिन्न मोर्चों पर भारत की इतनी सफलता पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही। इसलिए पहलगाम में आतंकी हमलों को अंजाम देकर उसने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को प्रकारांतर से यह बताने की कोशिश की है कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति गंभीर है।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में घाटी में किये जाने वाले आतंकी हमले की

गंभीरता वैसे ही बढ़ जाती है। इस संदर्भ में यह याद किया जाना चाहिए कि 2000 में भी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के भारत दौरे से पहले जम्मू-कश्मीर के छत्तीसिंहपुरा में सुनियोजित ढंग से आतंकी हमला किया गया था। लेकिन पाकिस्तान की मंशा के विपरीत, विश्व समुदाय ने पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर किये गये आतंकवादी हमले की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और हमले के दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए भारत को पूर्ण समर्थन देने की बात कही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने इस हमले पर एक्स पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आदि ने इस हमले की भारी भर्त्सना की है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपीय संघ ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। जाहिर है, पहले की तरह इस बार भी आतंकी हमले के जरिये भारत

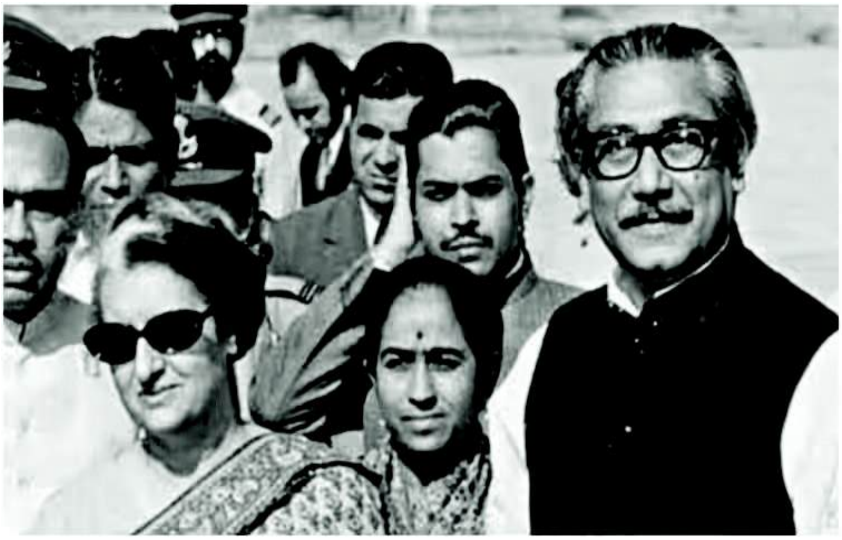

भारत-पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी ने बहुत साहसी कदम उठाया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिये थे। जिसे पाक कभी नहीं भूल सकता है।

को विश्व समुदाय के सामने कमतर या खंडित साबित करने की पाकिस्तान की मंशा बेकार साबित हुई। उल्टे पाकिस्तान की तरफ से आये हुए कुछ बयानात उसे ही

जैसी उच्च स्तरीय बैठकें भारत में हो रही है वैसी ही बैठकें पाकिस्तान में भी हो रही है। वह भी हमले को लेकर दहशत में हैं। उसे हर सता रहा है कि भारत कोई बड़ा कदम उठा सकता है। वैसे भी वह विश्व स्तर पर आतंकवाद को लेकर अलग-थलग है।

संदेह के घेरे में डालते हैं। पहलगाम हमले से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने इस्लामाबाद में आयोजित प्रवासी पाकिस्तानियों के एक कार्यक्रम के दौरान कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताते हुए कहा था कि उनके पूर्वज मानते थे, हिंदू और मुसलमान जीवन के हर पहलू में अलग हैं। जनरल मुनीर का वह बयान बेहद ही घटिया और उकसाने वाला था। भारतीय जांच एजेंसियां हालांकि अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची हैं, लेकिन कुछ खुफिया अधिकारियों का यह मानना है कि जनरल मुनीर के उत्तेजक भाषण ने लश्कर के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को आतंकी हमले के लिए उकसाया।

गौरतलब है कि टीआरएफ ने पहलगाम में किये गये आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। पहलगाम हमले पर पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान भी उतना ही निंदनीय है। पहले उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले से पाकिस्तान का कोई लेना-देना नहीं है। फिर उन्होंने भारत के खिलाफ ही जहर उगला। हमारी सरकार ने इस हमले को अत्यंत गंभीरता से लिया है, जो आतंकवाद को बर्दाश्त न करने की हमारी नीति के बारे में ही बताता है। प्रधानमंत्री सउदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर लौट आये और गृहमंत्री हमले के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर गये। अब आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करते हुए पाकिस्तान को दंडित करने समेत वे तमाम कदम उठाये जाने चाहिए, जो फिलहाल जरूरी हो सकते हैं।

भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदम

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक नीतिगण निर्णय लिए हैं। जिसमें सिंधु जल संधि का निलंबन जिसमें 1960 की संधि में निहित भारत के संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने इस संधि को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है, जब तक कि पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद का सार्वजनिक परित्याग नहीं करता। भारत ने दूसरा कदम पाकिस्तान के खिलाफ वीजा रद्द करने का लिया है जिसमें

जम्मू-कश्मीर में 2000 के बाद हुए आंतकी हमले

अनंतनाग जिले में अल्पसंख्यक सिखों पर हमला- ये आतंकी हमला 21 मार्च 2000 की रात को अनंतनाग जिले के छत्तीसिंहपोरा गांव में किया गया था। इस हमले में आतंकियों ने अल्पसंख्यक सिख समुदाय को निशाना बनाया गया था। इस आतंकी हमले में कुल 36 लोगों की जान गई थी। जबकि कई लोग घायल भी बताए गए थे।

पहलगाम के नुनवास बेस पर आतंकी हमला- 2000 के अगस्त पहलगाम के नुनवान बेस कैंप हुए आतंकी हमले में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाया गया। इस हमले में स्थानीय लोगों के साथ-साथ कुल 32 तीर्थ यात्रियों की हत्या की गई थी।

अमरनाथ यात्रियों पर हमला- जुलाई 2001 में अमरनाथ यात्रियों को आतंकियों ने निशाना बनाया। इस हमले में आतंकियों ने 13 लोगों की हत्या की थी। ये हमला अनंतनाग के शेषनाग बेस कैंप पर हुआ था।

विधानमंडल परिसर पर हुआ था फिदायीन हमला- जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में राज्य विधानमंडल परिसर पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में उस दौरान 36 लोग मारे गए थे जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

चंदनवारी कैंप में हमला- 2002 में कश्मीर के चंदनवारी बेस कैंप पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 11 अमरनाथ यात्री मारे गए थे।

पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा स्कीम से बाहर निकाल दिया है और 27 अप्रैल से सभी पाकिस्तानी नागरिकों को जारी भारतीय वीज़ा निरस्त कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को जल्दी से जल्दी भारत छोड़ने की सलाह दी और नए वीज़ा जारी करना तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है, केवल आपातकालीन चिकित्सीय मामलों को सीमित अवधि में देश छोड़ने की अनुमति दी गई। भारत का तीसरे कदम के रूप में अटारी-वाघा सीमा बॉर्डर को बंद करना की एवं द्विपक्षीय व्यापार संबंध स्थगित करना। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे से लेन देन नहीं करेंगे और 23 अप्रैल से यात्री आवागमन, दैनिक संयुक्त झंडा अवतरण समारोह और सीमा पार व्यापार स्थगित कर दिए गए हैं। 23 अप्रैल से यात्री आवागमन, दैनिक संयुक्त झंडा अवतरण समारोह और सीमा पार व्यापार स्थगित कर दिए गए हैं।

भारत ने पाकिस्तान पर बढ़ाई सख्ती, तीनों सेनाओं को दी खुली छूट

पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सख्ती बढ़ा दी है। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को समन भेजा और पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी साद अहमद वराइच को तलब किया है। साथ ही

दक्षिण कश्मीर में हुआ था बड़ा हमला- ये हमला 23 नवंबर 2002 को जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे पर हुआ था। हम इस हमले में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से विस्फोट किया गया था। इस हमले में 9 सुरक्षाकर्मी, तीन महिलाएं और दो बच्चों समेत 19 लोगों की जान चली गई थी।

23 मार्च 2003 को हुआ हमला- इस हमले में आतंकवादियों ने पुलवामा जिले के नंदी मार्ग गांव में 11 महिलाओं और 02 बच्चों सहित कम से कम 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी थी।

13 जून 2005- पुलवामा को एक बार फिर आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। यह हमला एक सरकारी स्कूल के सामने भीड़भाड़ वाले बाजार में विस्फोटकों से लदी कार से विस्फोट किया था। इस हमले में 02 स्कूली बच्चों समेत कुल 13 लोग मारे गए थे।

12 जून 2006- आतंकियों ने इस बार कश्मीर के कुलगाम को अपना निशाना बनाया था। इस हमले में 9 नेपाली नागरिक और बिहारी मजदूर मारे गए थे।

उरी हमला 18 सितम्बर 2016- जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर हुआ, एक आतंकी हमला था जिसमें 16 जवान शहीद हो गए थे। सैन्यबलों की कार्यवाही में सभी चार आतंकी मारे गए। यह भारतीय सेना पर किया गया, लगभग 20 सालों में सबसे बड़ा हमला था। आतंकी आकाओं ने बेहद गहरी साजिश के साथ हमला किया था। उन्होंने वक्तचुना था जब उरी कैंप से 10 डोगरा के जवान अपना कार्यकाल पूरा करके दूसरे मोर्चे पर जाने की तैयारी कर रहे थे और उनकी जगह 06 बिहार रेजीमेंट के जवान आ चुके थे। इस अदला-बदली के वक्तको ही हमले के लिए चुना गया था। इस हमले के महज 10 दिन बाद भारत ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला लिया। पाकिस्तान को सबक सिखाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। इस ऑपरेशन में 150 कमांडोज की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। भारतीय जवानों ने 28-29 सितंबर की दरम्यानी रात को पीओके में सीमा के भीतर तीन किलोमीटर अंदर तक घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर डाला। इसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे।

10 जुलाई 2017- कश्मीर के कुलगाम में अमरनाथ यात्रा के लिए जा रही बस पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 08 लोगों की मौत हो गई थी।

22 अप्रैल 2025- पहलगाम के बैसारन घाटी में आतंकियों ने टूरस्टों को अपना निशाना बनाया। इस हमले 26 पर्यटकों के मारे गए हैं।

एयर, नेवल और डिफेंस एडवाइजर को भी नोट सौंपा गया है जिसमें पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को पर्सोना नान ग्राटा घोषित किया गया। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक मीटिंग में तीनों सेनाओं को करारा जवाब देने की खुली छूट दे दी है। इससे पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय भारत की आक्रामकता के जवाब में कार्रवाई पर विचार-विमर्श कर रहा है।

सेना को निर्णय लेने की छूट

भारत ने कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर प्रतिशोध को प्राथमिकता देते हुए सैन्य विकल्प को अभी विवेकपूर्ण ढंग से सुरक्षित रखा है। सेना ने अभी सीमा पर शांति बनाए रखी है लेकिन सेना को निर्णय लेने की पूरा तरह से छूट दे दी है। 29 अप्रैल को आयोजित उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा में प्रधानमंत्री ने चीफऑफडिफेंस स्टाफऔर तीनों सेनाध्यक्षों को बदले की संभावित कार्यवाई के लिये स्थान, काल और किसी भी माध्यम को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता दी। हालांकि भारतीय सेना ने अब तक नियंत्रण रेखा पार करने जैसी जल्दबाजी भरी

आतंकवाद विरोधी अभियानों में मारे गए 172 आतंकवादी

जम्मू-कश्मीर पुलिस की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों में मारे गए 172 आतंकवादियों में से 108 टीआरएफसे जुड़े थे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न आतंकी संगठनों द्वारा भर्ती किए गए 100 व्यक्तियों में से, टीआरएफ 74 की भर्ती के लिए जिम्मेदार था। जनवरी 2024 में, टीआरएफ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की, जिसमें जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 68 हमलों की जिम्मेदारी ली गई। इस विवरण में जम्मू-कश्मीर में 64 घटनाएं दिखाई गई हैं- दक्षिण कश्मीर में 26, उत्तरी कश्मीर में 7, मध्य कश्मीर में 24 और जम्मू में 7 - साथ ही लद्दाख में तीन और दिल्ली में एक हमला हुआ। 05 जनवरी 2023 को इसके गठन के लगभग तीन साल बाद गृह मंत्रालय (एमएचए) ने टीआरएफ को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (पी) एक्ट, 1967 के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया। प्रतिरोध मोर्चा वर्ष 2019 में लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रॉक्सी संगठन के रूप में अस्तित्व में आया, जो यूएपीए के तहत पहली अनुसूची के सीरियल नंबर 5 पर सूचीबद्ध एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। समूह का उदय वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की जांच से बचने के लिए लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) जैसे अति धार्मिक संगठनों से खुद को दूर करके पाकिस्तान की रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। टीआरएफ का नाम, इस्लामी अर्थों से रहित, वैश्विक रूप से प्रतिरोध आंदोलन के रूप में प्रति ध्वनित करने के लिए चुना गया था।

कार्रवाइयों से परहेज़ किया है, भारतीय सेना स्थिति को देखकर निर्णय लेगी लेकिन पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय निंदा और आंतरिक दबाव के बीच तनाव बढ़ाने के लिए अंधाधुंध संघर्ष विराम उल्लंघनों का सहारा लिया है। आतंकवादी ढांचे को छिपाने और भारत को उकसाने के उद्देश्य से की गई इन कार्रवाइयों का भारतीय सेना ने अनुशासित, सटीक और संतुलित जवाब दिया है, जिससे शत्रु की हताशा उजागर हुई है और नियंत्रण भारत के हाथ में बना रहा।

पहलगाम आतंकी हमले की पूरी

भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। जिसका सीधा असर पाकिस्तान में दिखने लगा है। पाकिस्तानी आवाम में पाक सरकार के प्रति गुस्सा जाहिर किया जा रहा है क्योंकि सिंधु नदी का पानी वहां की जीवन रेखा है। पानी रोकने से पाक में तबाही जरूर आयेगी।

कहानी

कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बायसरन में हुए आतंकी हमले 26 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे। यह 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा हमला है। ये हमला ऐसे वक्त हुआ, जब पीएम मोदी देश से बाहर थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं। ये आतंकी सेना की वर्दी में आए थे। आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। फरवरी, 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू-कश्मीर में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने ली है। खुफिया एंजेसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मास्टर माइंड लश्कर-ए तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। बताया जा रहा है सैफुल्लाह खालिद आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी है। पाकिस्तानी सेना पर उसका इतना प्रभाव है कि सेना उसका फूलों से स्वागत करती है। वह सेना के अधिकारियों की पूरी मदद करता है। साथ ही पाकिस्तानी सेना के जवानों को भारत के खिलाफ भड़काता है। पहलगाम आतंकी हमले से दो महीने पहले सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर पहुंचा था। यहां उसे पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद जरीन खट्टक ने जिहादी भाषण देने के लिए वहां बुलाया था। वहां उसने पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ भड़काया। जम्मू-कश्मीर में लश्कर और टीआरएफ की आतंकी गतिविधियों को वही अंजाम दे रहा है। आतंकी हमले में अब तक 06 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई है। हमलावरों में दो पाकिस्तानी और दो स्थानीय आतंकी शामिल थे। दो अन्य के बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है। कहा जा रहा है कि घटनास्थल पर आतंकी देवदार के घने जंगलों के रास्ते आए थे। यह माना जा रहा है कि आतंकी किश्तवाड़ के रास्ते आए और फिर कोकरनाग के जरिए दक्षिण कश्मीर के बायसरन पहुंचे। कुछ लोगों ने आतंकियों की संख्या पांच बताई है।

A multifaceted approach needed to end witch-hunting in Jharkhand and other states

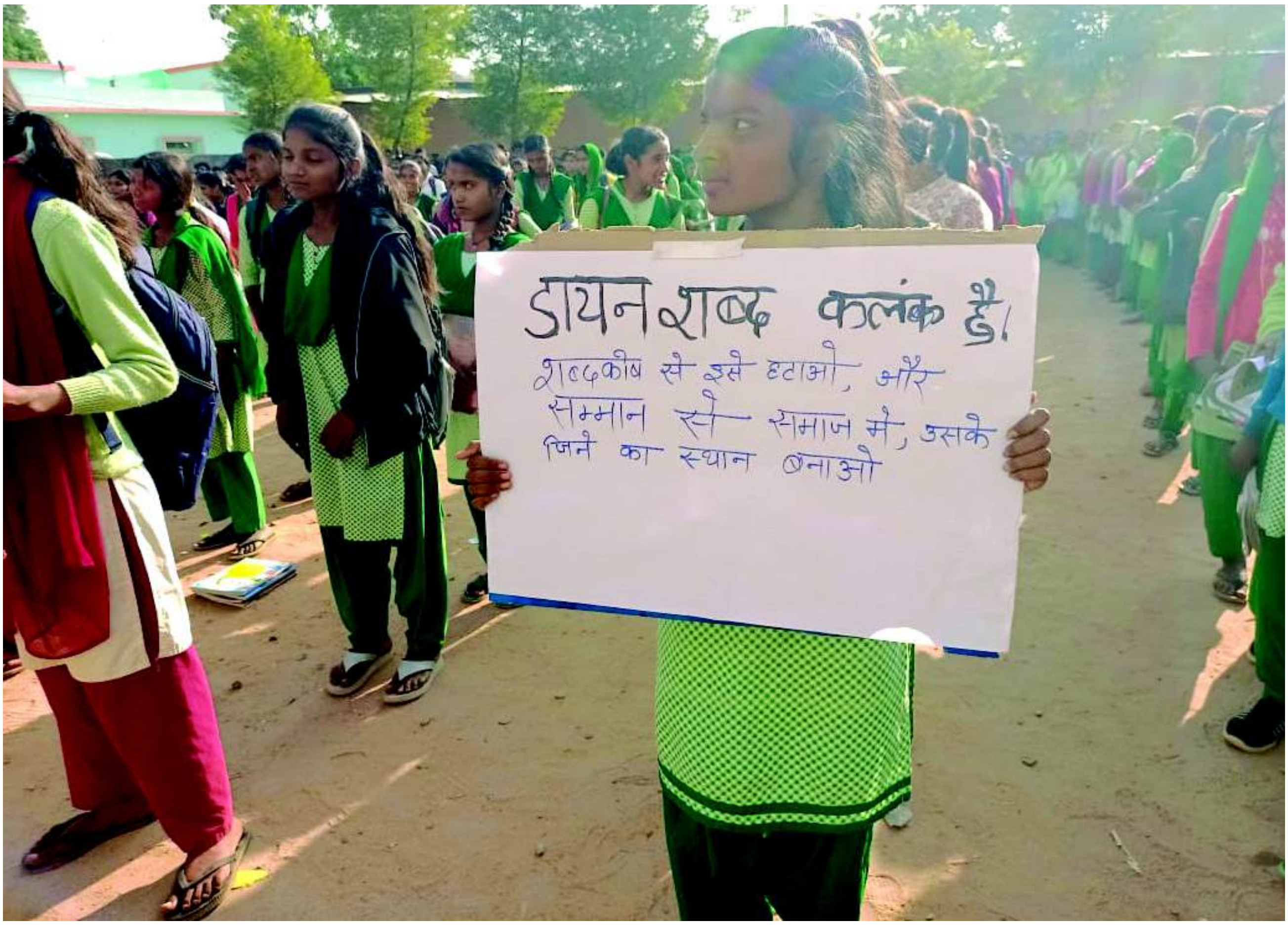

Md Tabrez Alam

Witch-hunting, a barbaric practice rooted in superstition and patriarchy, remains prevalent in Jharkhand despite legal prohibitions. While the practice primarily targets women, particularly those who are elderly, unmarried, widowed, childless or belonging to marginalized communities, male family members and relatives are also affected. Victims of witch-hunting are often blamed for causing misfortunes such as crop failures, disease, or the untimely death of a family member. These accusations are frequently used to settle personal scores, often driven by land disputes or other grievances. The presence of "ojhas" or local faith healers, who claim to possess the power to identify witches, continues to play a significant role in perpetuating these practices. Even though several states, including Jharkhand, have enacted laws to curb witch-hunting, their implementation has been inconsistent. The lack of awareness and resistance from local communities, along with the complicity of influential figures such

as tribal chieftains, allows witch-hunting to continue with impunity.

Witch-hunting as a symptom of deep-rooted inequality

The social stigma and violence faced by women accused of witchcraft often result in physical abuse, public humiliation and even murder. These women are frequently ostracized from their communities, forced into isolation, and subjected to horrific acts of violence, including flogging, sexual assault, and disfigurement. The practice disproportionately affects women from socially marginalized groups, such as the Adivasi and Dalit, who face additional vulnerabilities due to their lack of access to education, healthcare, and economic resources. According to activists, around 40-50 women are killed each year in Jharkhand alone in the name of witch-hunting. Despite the existence of anti-witchcraft laws in several states, including Jharkhand, law enforcement agencies remain ill-equipped to combat this social menace effectively.

Historical roots and evolution of witch-hunting

There are historical records of witch-hunting from before the British colonial period. It was not uncommon for individuals, particularly women, to be accused of witchcraft for reasons ranging from jealousy to land disputes or unexplained misfortunes. Over time, these beliefs merged with patriarchal societal norms, which viewed women, especially those who were elderly, unmarried, widowed or childless, as a 'burden' on the community. Such women were often easy targets for accusations of witchcraft. The practice of witch-hunting became institutionalized in many regions, with “ojhas” being tasked with identifying witches and prescribing violent remedies.

Legal framework and need for stronger enforcement

Law enforcement remains inadequate despite laws aimed at preventing witch-hunting, such as the Prevention of Witch (Daain) Practices Act, 1999 in Bihar, which was adopted by Jharkhand with changes in 2001. Many police officers are unaware of these laws or lack the training to apply them effectively. Furthermore, local communities often resist the implementation of these laws, driven by traditional beliefs and the influence of local leaders. For instance, the ojha or witch doctor, despite being illegal, continues to hold sway in rural areas, where their accusations are often regarded as gospel truth. Activists have long called for stronger legal measures, including holding ojhas and tribal chieftains accountable for their role in perpetuating witch-hunting. There is also a pressing need for a comprehensive national law that criminalizes witch-hunting and ensures strict penalties for perpetrators. Additionally, robust mechanisms for victim rehabilitation, compensation, and mental health support are crucial in addressing the aftermath of such heinous crimes.

A disturbing rise in witch-hunting cases

The National Crime Records Bureau (NCRB) reports that a staggering 2500 women have been killed following accusations of witchcraft since 2000. The Crime in India Report 2022 reveals nearly 85

witchcraft-related murders in India in 2022 alone. The most affected states include Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh, with Jharkhand recording the third-highest number of witch-hunting-related murders in 2022. While the state of Jharkhand reported 11 such murders in 2022, it marked a sharp rise from just 3 cases in the previous year. Chhattisgarh and Madhya Pradesh, which registered 25 and 20 such cases, topped the list.

Socio-economic and cultural factors

A survey conducted by the Nirantar Trust in Bihar in 2023-24 revealed that despite the provision of the Prevention of Witch (Daain) Practices Act, 1999, which was intended to curb witchcraft-related violence, at least 75,000 women in Bihar live under the constant threat of being accused of witchcraft. A staggering 97 per cent of the accused women belong to Dalit, Backward, or Extremely Backward Castes. Additionally, 75 per cent of the victims were between the ages of 46 and 66, with many being economically vulnerable and uneducated. The survey also highlighted significant barriers these women face in accessing justice. Alarmingly, only 31 per cent of the victims reported their cases to the authorities, and even among those who did, 62 per cent did not see any redressal.

Furthermore, many village leaders remained unaware of the Prevention of Witch Practices Act, with 85 per cent of the surveyed leaders unfamiliar with the law. These findings underscore the role that socio-economic factors, such as poverty and illiteracy, play in making women easy targets for witch-hunting. Rural areas with limited access to education and healthcare are often rife with accusations of witchcraft.

Poor healthcare and the role of traditional healers

A study by IndiaSpend in 2020 identified poor healthcare as a critical factor contributing to the prevalence of witch-hunting, particularly in Jharkhand. With 75.95 per cent of the state's population living in rural areas, access to quality healthcare is limited. In such communities, people often turn to quacks such as ojhas for medical treatment. These healers, who are sometimes consulted for minor ailments, exploit superstitions and frequently label women as witches to explain illnesses or death. This reliance on ojhas, combined with poor healthcare infrastructure, creates a dangerous environment for vulnerable women.

Case studies of witch-hunting

in Jharkhand

Several cases from Jharkhand highlight the brutal realities of witch-hunting. In Mandar village, for instance, five women were murdered on suspicion of practising witchcraft on 7 August 2015. These women were later found to have been protesting against liquor consumption in their village, and their deaths were linked to efforts to silence them. Another case involved a 60-year-old woman, Baso Oraon, who was murdered after being accused of causing the death of a 14-year-old boy in her village in June 2023. In December 2022, Shanti Devi, a woman from Bandhabad in Giridih, Jharkhand, was dragged out of her home, beaten, and branded a witch by a mob. Her crime? Being blamed for illnesses and deaths in the village.

The role of education and healthcare in curbing witch-hunting

Addressing the root causes of witch-hunting requires a multifaceted approach that includes improving access to education, healthcare and social services. A study by the State Commission of Women, Odisha, found that 27 per cent of witch-branding cases stemmed from children's health issues, while 43.5 per cent were linked to illnesses in adults. Providing communities with proper healthcare services could significantly reduce the influence of ojhas and bring down the instances of witch-branding. Moreover, improving access to sexual and reproductive health services, particularly in rural and tribal areas, could reduce the reliance on traditional healers for reproductive-health concerns. Educating communities about health issues and dispelling superstitions will also be vital in countering witchcraft and preventing future accusations.

Legal frameworks and the role of law enforcement

Despite the existence of laws in different states such as the Prevention of Witch Practices Act in Bihar and Jharkhand, which criminalizes witch-hunting, these laws have been largely ineffective in preventing such violence. A Partners for Law and Development study found that victims don't get adequate reparations. The police and administration also contribute to the

problem by not intervening in cases unless there is a murder. This lack of proactive intervention allows the perpetrators to act with impunity. In many instances, the authorities recommend a compromise to avoid the complexities of legal processes, further hindering justice for victims.

The Indian Penal Code (IPC) of 1860 addresses crimes related to witch-hunting through Section 323 (punishment for voluntarily causing hurt) and Section 295A (punishment for deliberate acts intended to outrage religious feelings). However, these laws are often insufficient in curbing the practice, because they do not specifically address the social and cultural dimensions of witch branding. This applies to the Bharatiya Nyay Sanhita 2023, too.

Jharkhand, Bihar, Chhattisgarh, and Odisha have their own laws. The Prevention of Witch Practices Act in Jharkhand and Bihar aims to address witch-hunting directly, but challenges remain regarding enforcement and effectiveness. Assam has a more stringent law, where accusing a woman of being a witch can lead to life imprisonment and a fine of up to Rs 5 lakh. The Karnataka Prevention of Superstitious Practices Act, 2013, which, while not solely focused on witch-hunting, targets various harmful superstitions, including witchcraft-related crimes. The Rajasthan Women (Prevention and Protection from Atrocities) Act, 2006 criminalizes calling a woman a “Dayan” or accusing her of witchcraft, with penalties extending to three years of imprisonment and a fine of Rs 5,000. However, this lack of uniformity across states has created gaps in addressing witchcraft-related violence.

In 2021, Jharkhand launched “Project Garima”, which focuses on eradicating witch-hunting practices and rehabilitating victims. The initiative includes counselling, skilling, and support for women who have been victims of witch branding. There have been attempts at the national level to introduce legislation to prevent witch-hunting, but these have largely stalled now. In 2003, the Women and Girls (Prevention of Stripping, Teasing, Molestation, Branding as Witches, and Offering as Devadasis) Bill was proposed but withdrawn. Similarly, a 2016 Bill to address witch-hunting did not progress in Parliament. The lack of a cohesive national approach is one of the key challenges in combating this issue.

The way forward

Witch-hunting in India remains a deeply entrenched socio-cultural issue, particularly in rural regions,

with far-reaching consequences for marginalized women. Despite the existence of legal frameworks aimed at curbing this practice, women continue to be targeted due to a combination of superstitions, gender discrimination, and socio-economic disparities. A multifaceted approach to eradicate witch-hunting is needed. This includes legal reforms, launching community awareness programmes, and addressing the root causes such as patriarchy, lack of education, and economic deprivation.

To effectively combat witch-hunting, a comprehensive strategy goes beyond legal provisions and encompasses healthcare access, education and community involvement. There must be consistent enforcement of existing laws, and authorities must be held accountable for failing to act in witch-hunting cases. Intervention of and collaboration with local-governance bodies like Panchayats are essential in mitigating witch-hunting. Furthermore, improving healthcare access and providing alternative livelihoods to traditional healers can significantly reduce the reliance on superstition-driven practices. Initiatives like Project Garima, which offers mental health support and awareness, are vital in addressing the psychological and social needs of survivors.

In addition to these efforts, various welfare programmes and national awareness campaigns such as the Gender Adharit Hinsa Ke Virudh Rashtriya Abhiyan and the Sankalp-100 Days Campaign have been instrumental in addressing the issue of gender-based violence and supporting vulnerable women in Jharkhand. These initiatives work to change societal attitudes, promote legal literacy, and provide platforms for women to speak out. Also in Jharkhand, the Mayya Samman Yojana has provided critical financial support to victims of witch-hunting, addressing their immediate needs and empowering them economically. Such programmes, including social security measures and community education, complement the legal framework and grassroots action in combating witch-hunting. Through collaborative efforts among the government, civil society and local communities, it is possible to eradicate this brutal practice and build a society where women are no longer victimized by superstition or social exclusion. The path forward requires urgent and coordinated action to protect women's rights and ensure their safety in all corners of India.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.